

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2020-21

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- पी0 एन0 पाण्डेय, शासकीय सेवक वर्तमान धारित पद- प्रथम श्रेणी राजपति अधिकारी, अपर संचालक, कुल 1,38,500 + डी.ए. अगली वेतनवृद्धि- 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	आवासीय भूखण्ड	—	लगभग-30.00 लाख	स्वयं	कय किया गया (बी.डी.ए.आवासीय योजना)	—	—

— जहां लागू न हो काट दीजिए ।

— ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय ।

— उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम - पी0 एन0 पाण्डेय, 20/01/2021
पी. एन. पाण्डेय

पद- अपर संचालक, संचालक
संचालनालय न0प्र0 एवं विकास

कृपया संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-3/सा-350/2021/6 दिनांक 01/01/2021 के अनुक्रम में प्रेषित है ।

झुंडा-नोटिस

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनिल कुमार गोंड, मध्यप्रदेश नगर प्रशासन (राजपत्रित) सेवा 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक

3. वर्तमान वेतन 95,400 + मंहगाई भत्ता अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रिस्टल आईडियल सिटी, ग्राम - खजुरी कलां, नगर निगम वार्ड क्र. - 59 तहसील - हुजूर, जिला - भोपाल	आवासीय भूखण्ड क्र.-55 भूखण्ड का क्षेत्रफल 139.08 वर्ग मीटर व उस पर निर्मित दो मंजिला मकान	-	40,00,000.00 (लगभग)	स्वयं के नाम पर	श्री राजकुमार पारदासानी, निवासी -144, न्यू सिंधी कॉलोनी, बैरसिया रोड़, भोपाल से दिनांक 19.06.2013 को रुपये 36,19,000.00 में क्रय किया गया। उक्त भवन क्रय करने के लिए वित्तीय व्यवस्था स्वयं की बचत/मित्रों के सहयोग एवं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा लिंक रोड़-1 से गृह ऋण रुपये 28,64,000.00 लेकर की गई।	84,000.00	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य को यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम-अनिल कुमार गोंड

पद - संयुक्त संचालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- आर.के. कार्तिकेय कार्यालय- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
2. वर्तमान धारित पद - संयुक्त संचालक
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया * * * खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम हिरदे नगर तहसील व जिला मण्डला	—	कृषि भूमि	क्रय मूल्य रुपये 01 लाख वर्तमान मूल्य लगभग 05 लाख रुपये	श्रीमती अंजू कार्तिकेय (पत्नी)	क्रय	रुपये 50 हजार (अनु.)	—
2	सेमरी कलां, कोलार	—	कृषि भूमि	क्रय मूल्य रुपये 3.45 लाख वर्तमान मूल्य लगभग 10 लाख रुपये	श्रीमती अंजू कार्तिकेय (पत्नी)	क्रय	—	—
3	रामेश्वरम डीलक्स, बागमुगालिया, भोपाल	मकान	—	क्रय मूल्य रुपये 9.4 लाख वर्तमान मूल्य लगभग 20 से 25 लाख रुपये	स्वयं के नाम	क्रय	—	—
4	सांची जिला रायसेन	—	भूखण्ड	क्रय मूल्य रुपये 03 लाख वर्तमान मूल्य लगभग 05 से 07 लाख रुपये	श्रीमती अंजू कार्तिकेय (पत्नी)	क्रय	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम -

आर.के. कार्तिकेय

पद -

संयुक्त संचालक,
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

06.01.21

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो		श्री शिवेन्द्र सिंह, कार्यपालिक सेवा		2. वर्तमान धारित पद		आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली	
3. वर्तमान वेतन	42040+DA			4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख		01-07-2019	
उस जिले, उपसंभाग का क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया-खरोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ऐसी संपत्ति का विवरण जो मेरे स्वयं के नाम पर है:-							
1. ग्राम जरहा तह0 मनगवां जिला रोवा (म0प्र0)	गृह	कृषि भूमि 6 एकड एवं मकान	21 लाख	दादाजी के नाम पर है	मृत्यु के उपरान्त मेरे नाम पर हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	25 हजार (कृषि आय)	पूर्व में सुचित
2. ग्राम करमाई तह0 मझौली जिला सीधी (म0प्र0)	गृह	कृषि भूमि 41 एकड एवं मकान	65 लाख	स्वयं के नाम	पैतृक संपत्ति	2 लाख (कृषि आय)	पूर्व में सुचित
3. मौजा नीमखेडा नं0बं0 742, प0ड0नं0 50, आर आई सर्किल खमरिया ख0नं0 40/1 जिला जबलपुर (म0प्र0)	-	भूमि 8645 वर्ग फिट	9 लाख	स्वयं के नाम	कृषि आय एवं वेतन की बचत राशि दिनांक 04.10.2004 को कय की	-	पूर्व में सुचित
4. प्लेट नम्बर 603 दत्त रेसीडेंसी रेल्वे स्टेडियम के सामने जबलपुर (म0प्र0)	गृह (प्लेट)	-	53 लाख	स्वयं के नाम	एस बी आई से ऋण प्राप्त कर दिनांक 26.10.2006 को कय किया	3.00 लाख (किराये से प्राप्त)	पूर्व में सुचित

मि. 22/1

मेरी स्वर्गीय पत्नी की संपत्ति का विवरण:-							
1. गौजा टेमर, नं० 250 प० नं० 23/27, खं० नं० 45/11, जबलपुर (म० प्र०)	—	भूमि (1 एकड़)	18 लाख	पत्नी के नाम पर है	सेलरी की बचत, किराये की आमदनी एवं माता-पिता द्वारा दी गई गिफ्ट से दिनांक 04.10.2004 को खरीदा	—	पूर्व में सुचित
2. आमनपुर, मदन महल जिला जबलपुर (म० प्र०)	गृह	—	43 लाख	पत्नी के नाम पर है	पैतृक (उनकी नानी द्वारा दिनांक 20.11.2003 को दान में दिया गया)	1.20 लाख (किराये से प्राप्त)	पूर्व में सुचित
3. म० नं० 61, आदित्य एवेन्यू एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म० प्र०)	गृह (ड्यूपलेक्स)	—	57 लाख	पत्नी के नाम पर है	एच डी एफ सी बैंक से ऋण लेकर कय किया	1.44 लाख (किराये से प्राप्त)	पूर्व में सुचित
4. गायत्री विहार, नीम चौराहा, रीवा (म० प्र०)	—	भूमि 8200 वर्ग फिट	18 लाख	पत्नी के नाम पर है	कृषि आय एवं स्वयं की बचत राशि कय की	—	पूर्व में सुचित
5. ग्राम करमाई, तह० मझौली जिला सीधी (म० प्र०)	—	भूमि (4.50 एकड़)	7 लाख	पत्नी के नाम पर है	कृषि आय एवं स्वयं की बचत राशि कय की	—	पूर्व में सुचित

लागू न हो काट दीजिए

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम :- शिवेन्द्र सिंह

पदनाम :- आयुक्त, नगर निगम सिंगरौली

31 दिसम्बर 2020

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण -निल

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम- मयंक वर्मा, उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा
2. वर्तमान भारित पद संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
3. वर्तमान वेतन-15600-39200 ग्रेड पे-7600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	अर्जन वर्ष	संपत्ति का नाम तथा व्योरा भवन/ भूमि	अर्जन के समय मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ग्राम बाबड़िया कला तहसील हुजूर जिला भोपाल।	2006	ड्यूपलैक्स भवन (1440 स्क्वयर फिट, 40X36) काव्य-4 चिनार फॉरचून सिटी होशंगाबाद रोड	रु. 11.66 लाख	लगभग रु. 46.00 लाख	स्वयं तथा पत्नि श्रीमती मीनू वर्मा के संयुक्त नाम से	श्री अंजनी पुत्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तथा चिनार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड भोपाल से क्रय किया गया जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर शाखा में गृह ऋण के विरुद्ध बंधक है।	निल
2. ग्राम बाबड़िया कला तहसील हुजूर जिला भोपाल।	2006	फ्लैट जमुना 303, चिनार फॉरचून सिटी होशंगाबाद रोड	रु. 5.61 लाख	लगभग 22.00 लाख	पत्नि श्रीमती मीनू वर्मा के नाम से	श्री अंजनी पुत्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तथा चिनार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड भोपाल से क्रय किया गया जिसके लिये बैंक ऑफ इंडिया, मारवाड़ी रोड में गृह ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान किया जा चुका है।	रु. 1 लाख 2 हजार

नाम.....मयंक वर्मा

संयुक्त संचालक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - श्री ओ.पी.झा राज्य नगर पालिका सेवा

2. वर्तमान धारित पद - उप संचालक 3. वर्तमान वेतन - 109659 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप-समाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जिला भोपाल तहसील हुजुर, अयोध्यानगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, भोपाल	मकान नंबर, जी. एच 527, जी सेक्टर, अयोध्यानगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, भोपाल	निरंक	16 लाख (सोलह लाख)	होम लोन के माध्यम से अर्जित, अर्जन की तारीख 25.11.2009 विक्रेता का नाम श्री हरिओम द्विवेदी आत्मज श्री रमेश चंद्र द्विवेदी भोपाल से अर्जित	निरंक	1. मकान में स्वयं का परिवार निवास करता है। 2. गृह जिला भागलपुर राज्य बिहार में पैतृक पुश्तैनी मकान है।

हस्ताक्षर

नाम ओ.पी.झा

पद उप संचालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21.

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डा. तोषण कुमार बड़िये, राज्य कारीय अत्यात्मिक सेवा
2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव
3. वर्तमान वेतन 56100 - 177500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जोडलरवेडा तप मुलताई जि० बरौल	मकान	कृषि भूमि 3.417 हे.	ज्ञात नहीं	—	पैवकु	—	—
सदर, जैबल जि० बरौल	मकान	—	ज्ञात नहीं	—	पैवकु	—	—
सूरवा शेडी तप मुलताई जि० बरौल	—	कृषि भूमि 2.40 हे.	ज्ञात नहीं	राखी तोषण बड़िये	विरासत	—	—
सागर रायलविला लेनागाबाद रोड, ओपाल	फ्लैट	—	24,50,000.00 रुपये	राखी तोषण बड़िये	विवरण 2015	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Toshan

08/11/21

नाम डा. तोषण कुमार बड़िये

पद सहायक सचिव

अचल संपत्ति का वितरण,

वर्ष 2021

31.12.2020 की स्थिति में

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - योगेन्द्रसिंह पटेल, राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा

वर्तमान धारित पद - उपायुक्त, नगरनिगम भोपाल (मुल पद - मुख्य नगर पालिका अधिकारी - ख)

वर्तमान वेतन रु. (मूलवेतन) 63100 प्रतिमाह

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य (लाख रु.) अनुमानित	यदि स्वयं के लाभ घर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खगेद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय लाख रु.	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम डिया पुरा म0प्र0	गृह	0	0.6	माताजी के नाम	विरासत		
2) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम डिया पुरा म0प्र0	गृह तथा मवेशी स्थल	0	5.0	माताजी के नाम	विरासत		
3) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम मुराणा म0प्र0	0	कृषि भूमि सिंचित 8 एकड	24.0	माताजी के नाम	विरासत	0.75	बंटवारा आ सहमति से 2017 में हुआ है/ नामांकित शेष
4) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम मुराणा म0प्र0	0	कृषि भूमि असिंचित 3.25 एकड	7.5	तीन भाईयों के संयुक्त नाम	विरासत		
5) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम मुराणा म0प्र0	0	कृषि भूमि असिंचित 2 एकड	5.5	माताजी के नाम	विरासत		
6) जिला बडवानी तेह अंजड ग्राम मुराणा म0प्र0	0	कृषि भूमि असिंचित 1.25 एकड	1.5	माताजी के नाम	विरासत		
7) जिला इंदौर तेह महु ग्राम मोनवाया म0प्र0	गृह	0	40.0	स्वयं के नाम	वर्ष 2010 में कय	1.08	कय मूल्य 2121 लाख

योगेन्द्र सिंह पटेल

उपायुक्त

नगर पालिक निगम भोपाल

फार्म

दि 15/7/2021

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विशेषज्ञ
2. वर्तमान धारित पद डी.डी.ओ. 3. वर्तमान वेतन 73200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. गौरीगढ़	गौरीगढ़	-	211170/-	स्वयं	हस्ताक्षर/मुद्रा/लिखित/मालिकी	रु. 10	रु. 10
2. गौरीगढ़	-	गौरीगढ़ (वर्तमान 82)	211170/-	हस्ताक्षर/मुद्रा/लिखित/मालिकी	हस्ताक्षर/मुद्रा/लिखित/मालिकी	रु. 10	रु. 10

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

विशेषज्ञ
डी.डी.ओ.

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. राकेश कुमार सक्सेना, (राज्य नगर पालिका सेवा) 2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक 3. वर्तमान वेतन रुपये 75400/- .अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगर निगम,भोपाल	भवन (शाहपुरा) एवं कोलार	—	70.00 लाख अनुमानित	श्रीमती मंजू सक्सेना (पत्नी)	श्रीमती मंजू सक्सेना, भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत। बैंक ऋण एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया (वर्ष 2000) एवं निर्माण किया गया।	72000/-	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम — राकेश कुमार सक्सेना

पद — सहायक संचालक

दिनांक...08.1.2021

फार्म
प्रथम नियुक्ति कि समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- नीलोफर, सहायक संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मूल पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ग" वर्ग. 2. वर्तमान भारित पद.- सहायक संचालक .
3. वर्तमान वेतन-84700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख-1.7.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम गंधुवई (उ.प्र.)	—	कृषि भूमि	—	पुश्तैनी(श्री अरविन्द यादव पति)	विवाह होने पर	—	—
ग्राम दीपड़ी जिला भोपाल	—	कृषि भूमि 11000 स्क्वियर फीट	तीन लाख	—	वर्ष 2001 में मूल्य एक लाख साठ हजार में खरीदा श्री घनश्याम पाटीदार से	—	—
भोपाल	भवन	—	चौदह लाख	—	जुलाई 2002 में खरीदी प्लॉट श्री राकेश जैन से मूल्य दो लाख अस्सी हजार + बनवायी तीन लाख पचास हजार कुल छः लाख बीस हजार/ अनुमति पत्र , क्रमांक 6112 दिनांक 22.04.03	—	—

हस्ताक्षर.....

नाम- नीलोफर
पद- सहायक संचालक .

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेन्द्र कुमार व्यास, राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा
2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक 3. वर्तमान वेतन 5.6.100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर देवेन्द्र कुमार व्यास 15/01/2021

नाम देवेन्द्र कुमार व्यास

पद सहायक संचालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक संचालक
2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक 3. वर्तमान वेतन 15600-29100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

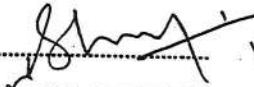
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X	X	X	X	X	X	X	X

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
नाम सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय
पद सहायक संचालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो यु.श्री शिल्पा मालेवार, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र.
2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक 3. वर्तमान वेतन 62700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.7.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जबलपुर	गृह	1100 sqft	50 lacs	श्री हरिलाल मालेवार (पिता)	पिता द्वारा दान (1981)	Nil	—
2. जबलपुर	प्लॉट	2400 sqft	100 lacs	— " —	— " — (1976)	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर यु.श्री शिल्पा मालेवार 04/07/2021

नाम यु.श्री शिल्पा मालेवार

पद सहायक संचालक

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बालकृष्ण शर्मा 2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप समाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौरा	वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1. छनेरा नया हरसूद तहसील छनेरा, जिला खण्डवा	कृषि भूमि	लगभग आधा एकड़	लगभग रु. 1,50,000/-		पुश्तैनी बंटवारे में प्राप्त।		
2. बीड़ तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निर्माण	कच्चा पक्का जी. आई. छत तथा कुछ हिस्सा कांकीट की छत का एवं मंदिर	लगभग 207 वर्ग मीटर में	लगभग रु. 5,50,000/-	पत्नि श्रीमती अनिता शर्मा एवं बच्चों के नाम पर है।	विरासत में प्राप्त।	लगभग रु. 15,000/- प्रतिवर्ष पत्नि किराया प्राप्त होता है।	
3. उज्जैन, जिला उज्जैन कृष्णा पार्क, नानाखेड़ा	पक्का मकान	लगभग 95 वर्ग मीटर	लगभग रु. 35,00,000/-	पत्नि श्रीमती अनिता शर्मा के नाम पर है।	पत्नि के द्वारा लगभग रु. 25 लाख बैंक लोन के माध्यम से एवं सामान्य पारिवारिक बचत	लगभग रु. 25,000/- प्रति वर्ष किराया प्राप्त होता है।	

हस्ताक्षर



नाम बालकृष्ण शर्मा
पद सहायक संचालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीवेन्द्र सिंह 2. वर्तमान धारित पद - कार्यपालन यंत्री

3. वर्तमान वेतन 15600 + 6600 अगली वेतन वृद्धि की तारीख जनवरी-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइयें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा तहसील-सिरमौर, ग्राम-खैरहन एवं उमरी	एक मकान	15 एकड़ कृषि भूमि	25.00 लाख	स्वयं के नाम	पुस्तैनी पिता से प्राप्त	-	-
रीवा तहसील-हुजूर	एक मकान	3000 वर्ग फीट	20.00 लाख	पत्नी	ऋण लेकर बनावाया गया है।	-	स्वयं के उपयोग/किराये पर
भोपाल हुजूर रीगल मोहिनी होम्स	एक मकान	840 वर्गफीट	35.00 लाख	स्वयं	ऋण लेकर क्रय किया गया है।	-	स्वयं के उपयोग में।
सुरेन्द्र मानिक भोपाल	एक मकान	1150 वर्गफीट	45.00 लाख	पत्नी	ऋण लेकर क्रय किया गया है।	-	स्वयं के उपयोग में।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
 नाम - जीवेन्द्र सिंह
 पद - कार्यपालन यंत्री

फाम

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - प्रदीप निगम 2. वर्तमान धारित पद - अधीक्षण यंत्री
3. वर्तमान वेतन (सौतवे वेतनमान में) 107300 लेवल 14 + अन्य भत्ते। अगली वेतन वृद्धि की तारीख - जुलाई 2021

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2877-ई/सेक्टर सुदामा नगर इन्दौर	185.87 वर्ग मी. प्लाट विथ बिल्ट अप एरिया 200 वर्ग मी.	—	लगभग 80.00 लाख (मूल कीमत 6.90 लाख)	श्रीमती रश्मि निगम "पत्नी"	कैलाश चन्द्र पिता बंशीलाल जैन 229, विश्वकर्मा नगर इन्दौर दि. 04.06.1997 (विभाग को सूचना दी गई है)	निरंक	निरंक
2. गांव रतनपुर सड़क ब्लॉक फनदा, तहसील हूजुर जिला भोपाल(म.प्र.)	—	92.93 वर्ग मी. प्लाट (130-बी सेक्टर)	लगभग 15.00 लाख (मूल कीमत 0.10 लाख)	स्वयं के नाम	नटराज सहकारी गृह निर्माण संघ मर्यादित भोपाल दि. 22/02/1990	निरंक	निरंक
3. गांव झगरी तहसील-रामपुर नैकिन जिला-सीधी, म.प्र.	—	1.138 हेक्टर (कृषि भूमि)	लगभग 15.00 लाख	स्वयं के नाम	विरासत	रु. 50,000/- प्रतिवर्ष (क्रमांक 3 से 5 द्वारा)	निरंक
4. गांव मुर्तला, तहसील-रामपुर नैकिन जिला-सीधी, म.प्र.	—	0.234 हेक्टर (कृषि भूमि)	लगभग 7.00 लाख	स्वयं के नाम	विरासत		निरंक
5. गांव अमिलहा, तहसील-रामपुर नैकिन जिला-सीधी, म.प्र.	—	0.728 हेक्टर (कृषि भूमि)	लगभग 12.00 लाख	स्वयं के नाम	विरासत		निरंक
6. ग्राम छोटा बागडवा तहसील एवं जिला इंदौर में नरिमन कालोनी में	—	भूखण्ड क्रमांक B-73	लगभग 25 लाख (मूल कीमत 04.40 लाख)	स्वयं के नाम	स्वयं के बचत संसाधनों से रामदुलारे गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर से क्रय	निरंक	निरंक

21-1-21

हस्ताक्षर

नाम - प्रदीप निगम

पद - अधीक्षण यंत्री

विभाग - संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,

(यां प्र.) उज्जैन संभाग

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - समरूप जारोलिया 2. वर्तमान धारित पद - कार्यपालनयंत्री

3. वर्तमान वेतन (सॉतवे वेतनमान में) 90400 लेवल 13 + अन्य भत्ते। अगली वेतन वृद्धि की तारीख - जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य/ अनुमानित	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम देवपुर मॉफी सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)	भवन 1	लगभग 4 बिघा सिंचित	18.00 लाख अनु.	श्रीमति मीरा देवी पत्नी	पैतृक वर्ष 1995-96 में भू-खण्ड क्रय माता/पिता द्वारा भवन निर्मित	75000/- 96000/-	-
महाकाल वाणिज्य केंद्र उज्जैन	भवन एक	निरंक	54.00 लाख अनु.	पत्नी एवं स्वयं के नाम से	स्वयं की बचत एवं बैंक ऋण से वर्ष 2004 में विकास प्राधिकरण से क्रय, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक से रु. 22.00 लाख ऋण लेकर भवन निर्माण किया गया है।	5,04,000/-	-
ऋषिनगर बिस्तार उज्जैन	भवन-1	निरंक	35.00 लाख अनु.	माताजी के नाम	माँ द्वारा कृषि पशुपालन से आय/बचत से वर्ष 2006 में क्रय	(स्वयं के उपयोग में) एवं वार्षिक आय 120000/-	-
मालवीका धाम उज्जैन	भू-खण्ड एक	निरंक	11.00 लाख अनु.	पत्नी के नाम	पत्नी द्वारा स्वयं की आय/बचत/उधार से गृह निर्माण सोसायटी से वर्ष 2012 में क्रय (रु. 1.50 लाख)	निरंक	-
ग्राम पीपरीपुरा, जिला मुरैना	भू-खण्ड एक (दो भाग में)	निरंक	12.00 लाख अनु.	पत्नी के नाम	पत्नी द्वारा स्वयं की आय/पैतृक संपत्ति (भूमि) विक्रय से पार्टिशन में प्राप्त आय से वर्ष 2015 में रुपये 9.5 लाख में क्रय	निरंक	-
ग्राह चंदेसरी तहसील उज्जैन	-	0.17 हेक्टेयर	31.92 लाख	पत्नी एवं पुत्रों का स्वामित्व	पत्नी द्वारा स्वयं की वर्षों की बचत सावधि जमा राशि एवं मेरे द्वारा अपनी वर्षों की टेक्स सेवर स्कीम, बचत सावधि जमा राशि पत्नी को दी जाकर क्रय	निरंक	-

हस्ताक्षर

नाम - समरूप जारोलिया

पद - कार्यपालनयंत्री

विभाग - संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,

(यां प्र.) उज्जैन संभाग

21.1.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद.....
 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जोषा ल	रुचि अर्द्ध निरंक जी. मलेट 20x25 दत्त निरंक	निरंक	16 लाख 2 हजार		निरंक	निरंक	2 हजार

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... 4/1/2021

नाम.....
 पद.....

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री संजय कुमार तिवारी, राज्य नगर पालिका निगम सेवा (यांत्रिकी) 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल 3. वर्तमान वेतन 93100/- ग्रेड पे अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तहसील हुजूर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	भूखण्ड साइज 30'x50'	निरंक	वर्ष 1990 में क्रय मूल्य रु. 14100/- वर्तमान मूल्य रु. 2.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	4 दिसम्बर 1990 में म.प्र. गंदी बस्ती निर्मूलन मण्डल द्वारा कर्मचारी कोटे में प्लॉट क्रमांक 16 उपलब्ध कराया जाकर रजिस्ट्री की गई थी।	निरंक	प्लॉट का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका है। न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।
ग्राम पिपल्याहाना बख्तावर रामनगर, इंदौर	शहर इंदौर बख्तावर रामनगर सेक्टर-ए मकान नं. 56, भूखण्ड साइज 20'x40' फीट पर निर्मित भवन	निरंक	वर्ष 2005 में क्रय मूल्य रु. 911000/- बैंक से गृह ऋण द्वारा वर्तमान मूल्य रु. 25.00 लाख लगभग	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती रीना तिवारी के संयुक्त नाम से	8 फरवरी 2005 को श्री विनोद सक्सेना एवं श्रीमती कनक सक्सेना निवासी ई-112, बख्तावर रामनगर इंदौर से क्रय किया गया।	निरंक	
तहसील हुजूर बावड़ियाकलां, भोपाल	शहर भोपाल, रोहित नगर फेस-2 मकान क्रमांक-310, भूखण्ड साइज 35'x60' फीट	निरंक	क्रय मूल्य रु. 39,01,800/-, पैतृक संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि द्वारा, जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि द्वारा, बैंक ऋण द्वारा	स्वयं एवं पत्नि श्रीमती रीना तिवारी के संयुक्त नाम से	श्री संजय मिश्रा पुत्र श्री महेश चन्द्र मिश्रा, वयस्क, निवासी ई-1/146, अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र. से क्रय किया गया।	निरंक	निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिपवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Sriwan
04/01/2021

नाम : श्री संजय कुमार तिवारी
पद : उपयंत्री

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020.

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शुभाष पटेलिया, इन्दानाहाय नगरीय स्वशासन
2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री (विद्युत) 3. वर्तमान वेतन 32800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर W. Petalaya 5/01/2021

नाम शुभाष पटेलिया

पद उपयंत्री (विद्युत)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव राज्य नगरपालिका सेवा (यात्रिकी) 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल 3. वर्तमान वेतन 87800/- ग्रेड अगली वेतनवृद्धि की तारीख 22/1/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	ग्रह भवन 30x 50 = 1500 वर्गफीट		58.75 लाख	स्वयं के नाम पर	अमरनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल से सदस्यता क्रमांक 342 से भूखण्ड क्रमांक 5-ए दिनांक 09.03.06 को क्रय किया गया।	स्वयं निवासरत	स्वयं के उपयोग में
	—	5200 वर्गफीट	22.00 लाख	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव (पत्नि) (सेवारत)	अमलतास फार्म श्री सरवर हुसैन पुत्र श्री अनवर हुसैन से 5200 वर्गफीट कृषि भूमि भूखण्ड क्रमांक 63, बड़वाई में क्रय किया दिनांक 16.02.99	—	
	—	1200 वर्गफीट	7.00 लाख	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव (पत्नि) (सेवारत)	आकांशा हाउसिंग सोसायटी बैरागढ़ चिचली अंशुल बिहार कालोनी प्लाट नं. 33 सदस्यता क्रमांक 81 वर्ष 1997 से क्रय किया गया।	—	
	—	2000 वर्गफीट	7.00 लाख	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव (पत्नि) (सेवारत)	साई बिहार कालोनी, गुना के भूखण्ड क्रमांक 39 (मार्च 2006) को विक्रय कर भूखण्ड क्रमांक 35-36 ग्राम रातीबड़ भोपाल में श्री राकेश शर्मा से क्रय किया गया।	—	

हस्ताक्षर, 07/01/2021

नाम - सुनील कुमार श्रीवास्तव
पद - उपयंत्री
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
(यात्रिकी प्रकोष्ठ) मध्यप्रदेश

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... मोहन निगम
 2. वर्तमान धारित पद..... उपपंजी 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01.10.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - जुड़मागी बिकानेर - रामनगर जिला - (म.प्र.)	निरं	0.65 एकड़	10.50 लाख	—	भेंट	निरं	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....
 नाम..... मोहन निगम
 पद..... उपपंजी

05/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष -2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भैरवी शरण त्रिपाठी, तृतीय श्रेणी सेवा
2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री 3. वर्तमान वेतन 82354 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विससत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन, उदयपुरा, सतहेरी तथा गायव्यान	-	8.0 एकड़ (कृषि भूमि)	लगभग 24.00 लाख	स्वयं के नाम पर (शामिल खाता)	पैतृक	90000/-	-
रायसेन, उदयपुरा, चिकली	-	2.0 एकड़ (कृषि भूमि)	05.00 लाख	पत्नी के नाम पर	पिताजी द्वारा क्रय किया वर्ष 1991 में	40000/-	-
रायसेन, उदयपुरा	मकान	-	8.00 लाख	स्वयं के नाम पर	क्रय किया (बैंक ऋण तथा अल्प बचत)	-	-
भोपाल एम-64, संत आशाराम नगर बागसेवनियां	आवासीय मकान	-	24.00 लाख	स्वयं के नाम पर	क्रय किया (बैंक ऋण तथा अल्प बचत)	115000/-	-
जिला-भोपाल ग्राम-बगरोदा	-	0.429 हेक्टेयर (कृषि भूमि)	17.30 लाख	पत्नी के नाम पर	क्रय किया (अल्प बचत)	25000/-	-
रायसेन, उदयपुरा, भुआरा	-	4.5 एकड़ (कृषि भूमि)	14.00 लाख	संयुक्त नाम से	पैतृक सम्पत्ति बटवारे में माताजी से वसीयत में प्राप्त	40000/-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- भैरवी शरण त्रिपाठी

पद-उपयंत्री

दिनांक-12.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... अ. लाला मोर
 2. वर्तमान धारित पद..... 34 ग्रंथी 3. वर्तमान वेतन..... 38233 अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... July, 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निक				निक			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम..... अ. लाला मोर

पद..... 34 ग्रंथी

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... श्रीमति ज्योति तोमर (उपयंत्री मध्य प्रदेश नगरीय सेवा)
2. वर्तमान धारित पद... उपयंत्री 3. वर्तमान वेतन... 34062/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 01/07/2021 से

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					N/A		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर... Jyoti Tomar 01/07/2021
नाम... Jyoti Tomar
पद... S/E (Sub Engineer)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्व. समाधिदा
 2. वर्तमान धारित पद अपरित्री 3. वर्तमान वेतन 9300 - 34800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निश्च	निश्च	निश्च	निश्च	निश्च	निश्च	निश्च	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर स्व. समाधिदा
 नाम स्व. समाधिदा
 पद अपरित्री

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... नेहा पटेल (उपयंत्री)

2. वर्तमान धारित पद..... उपयंत्री

3. वर्तमान वेतन..... 9300-34800

अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... जुलाई 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम..... नेहा पटेल

पद..... उपयंत्री

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो टोमिश कुमार गुप्ता, संचालक, नगरपालिका, नारायणगढ़
 2. वर्तमान धारित पद उप-प्रभारी 3. वर्तमान वेतन 360787 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-परतला जिला- छिन्दवाड़ा	-	गृह ग्राम- परतला में 02 एकर सिंचित कृषि भूमि	95.00 लाख	स्वयं के नाम पर	पैतृक	1 से 1.5 लाख प्रतिवर्ष	पैतृक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 25.01.2021

नाम Tomish Kumar

पद Sub Engg

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम, तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो चंद्रकिशोर सुर्ववंशी
2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री (विपुल) 3. वर्तमान वेतन 34062/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख परिवर्तित अवधि के पश्चात्

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	—	सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मुना मिसरा के फैस - 5 में लगातार Plot No. D-178	23.00 lakh लगभग	स्वयं के नाम पर।	स्वयं एवं परिवार आय से लाटरी सिस्टम द्वारा BDA से प्रयुक्त किया गया।	NIL	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक पद पर जो गठ असेमित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर

हस्ताक्षर CL. D. K. S.

नाम चंद्रकिशोर सुर्ववंशी

पद उपयंत्री

28/01/20

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष-2020-2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. सुधीर गर्ग, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल.. 2. वर्तमान धारित पद उपयंत्री 3. वर्तमान वेतन 64600/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख

जुलाई-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका, ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
गांधीनगर जिला-रीवा	गृह (मकान) रीवा में गांधी नगर स्थित	-	37.00 लाख	रीवा में स्थित मकान पैतृक	पैतृक	निल	पैतृक
भोपाल	भोपाल में दो कमरे का फ्लैट	-	18.00 लाख	स्वयं के नाम पर	श्री के.एल. शर्मा (बिल्डर) से भोपाल में स्थित फ्लैट भारतीय स्टेट बैंक भोपाल से लोन लेकर खरीदा है। रीगल टाउन फ्लैट नं.-203	निल	भारतीय स्टेट बैंक भोपाल से लोन लेकर
ग्राम-भुमकहर जिला-सतना	-	गृह ग्राम भुमकहर, जिला-सतना में 7.00 एकड़ कृषि भूमि	14.00 लाख	गृह ग्राम भुमकहर, जिला-सतना में स्थित भूमि पैतृक	पैतृक	निल	पैतृक
रीवा	-	रीवा नगर में 2400 वर्ग फीट का भूखण्ड	17.00 लाख	मेरे एवं पत्नी के नाम पर	श्री जगमोहन सिंह एवं हरवीर सिंह से रीवा नगर में 2400 वर्ग फीट का भूखण्ड विभिन्न बैंकों से तथा पत्नी की आय सम्मिलित कर मेरे एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर क्रय किया गया है।	निल	विभिन्न बैंकों से लोन लेकर खरीदा

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से ये अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

(5) 8/7/2021

नाम:- सुधीर गर्ग

पद :- उपयंत्री

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... (मोहन द्विवेदी (न.प्र. मातृशिक्षक लेवल 2015))
 2. वर्तमान धारित पद..... उपप्रिन्सिपल..... 3. वर्तमान वेतन..... 36900/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	गृह (आवसीय घर)	-	29.00 लाख	मोहन लाल (पत्नी)	पत्नी द्वारा रु. 26.50 का ऋण एच.ए. बैंक जॉक इंस्टीट्यूट से हस्त की बचत ले कर क्रिदा गया। (विक्रेता - मेहर्सि अश्वान संस्था, मोपाल)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... 30/01/2

नाम..... (मोहन द्विवेदी)

पद..... उपप्रिन्सिपल

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उमरेंद्र कुमार गौतम, सहप्रशिक्षक, राईम अभियंता सेवा
 2. वर्तमान धारित पद सहप्रशिक्षक 3. वर्तमान वेतन 52100-17750 अगली वेतनवृद्धि की तारीख —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जि०	जि०	जि०	जि०	जि०	जि०	जि०	जि०

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

01/02/21

नाम उमरेंद्र कुमार गौतम

पद सहप्रशिक्षक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Priya Patel (A.E.) State Engineering Services
 2. वर्तमान धारित पद Assistant Engineer 3. वर्तमान वेतन 56,100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Priya Patel

नाम Priya Patel

पद AE

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

- [illegible]

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर  06.07.20
नाम निशान्त सिंह
पद समस्याएं

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... कुलदीप रायवंशी राज्य अधिभारिणी सेवा
2. वर्तमान धारित पद... सहायक जंजी 3. वर्तमान वेतन... अगली वेतनवृद्धि की तारीख...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - इवाम (बेडा) तहसील - आरौन जिला - शुनो	—	कृषि भूमि संयुक्त परिवार रंगोरे में कुल भूमि 5.01 Hect में से एक तिहाई 1.67 Hect	लगभग 10,00,000 रु.	हवं	विरासत	24000- रु.	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम कुलदीप रायवंशी

पद सहायक जंजी

06/01/21

कमांक स्था-3/सा.-350/2021/6 भोपाल, दिनांक 01.01.2021 के संबंध में जानकारी
अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री रमेश प्रकाश कोंते, राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा
2. वर्तमान धारित पर, सहायक यंत्री,
3. वर्तमान वेतन रुपये 1,07,607.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग/ तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किस नाम पर धारित है और उसका कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	भवन, 130 नारायण नगर, भोपाल	---	1.20 करोड़	स्वयं के नाम	कय द्वारा दिनांक 26.06.2001 को श्री सी.के. अम्बर्डेकर, भोपाल से	---	---
	2 बीएच के प्लेट नं. सी-1 प्लॉट नं. 7. संत आसाराम नगर, भोपाल	---	15.00 लाख	स्वयं एवं श्रीमती शोभना कोंते (पत्नी) के नाम	दिनांक 31.11.2014 को कय सेंचुरियन योग कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भोपाल	36000.00	---
ग्राम जाखलौन, जिला ललितपुर, (उ.प्र.)		कृषि भूमि 3.00 एकड़	9.00 लाख	श्री परमानंद कोंते (पिता)	पैतृक	70,000.00	

दिनांक:- 05.01.2021


(आर.पी. कोंते) 5/1/2021
सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अतुल सिंह
 2. वर्तमान धारित पद सहायक जे.पी. 3. वर्तमान वेतन 84661/- रा.न.वे. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. श्रीपाल	गृह B-20, नू. मिनार रेसीडेन्सी, श्रीपाल		क्रेप रु. 9.00 लाख	स्वयं	जहां जहां, जहां से बहुत एवं अविभाजित हिंदू परिवार अर्जित सम्पत्ति कृषि भूमि से प्राप्त आज से (वर्ष-2006)		
2. श्रीपाल	Flat C-103 जुनित मि.ग. Area-450 Sq.ft. फार्च्युन सोसायटी हेरिटेज, ई.एस. स्कूल के पास		13.99 लाख	सौदरी सीमा सिंह (पानी)	पानी द्वारा संचालित प्ले एवं नदरी स्कूल, टुंगुशन एवं बहुत तथा अविभाजित हिंदू परिवार अर्जित सम्पत्ति कृषि भूमि से प्राप्त आज से (वर्ष 2014 में)		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

04.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा इस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नगरपालिका प्रशासन - विभागाध्यक्ष - नगरपालिका
2. वर्तमान धारित पद नगरपालिका 3. वर्तमान वेतन 80,000/- मासिक Basic अगली वेतनवृद्धि की तारीख July - 2020 July

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निम्न -			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम (Yuvraj S. Jain)

पद Asstt. Accounts Officer

Accounts Section -

Directorate of Urban Admin.
Indore

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सिद्धांत अबरथी, राज्य नवारीय (विन) सेवा
 2. वर्तमान धारित पद स्थायी लेखाधिकारी 3. वर्तमान वेतन Level-8 35,800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. म. 2. 1/7 और 3/4 कालोरी, पौंदरु शोपाल, म. 8.	बट्टा भवन	-	20 लाख रुपये (लगभग)	पैतृक सम्पत्ति उक्त भवन पिता श्री आदर्श अबरथी के नाम पर है।	दादा जी स्व. श्री विद्या सागर अबरथी द्वारा बनाया गया।	निरंक	बट्टारा ही हुआ है।
2. बंताम पाण्डेय बिबादा पोस्ट - कार्गीपुर कानपुर, उ.प्र.	बट्टा भवन	-	5 लाख रुपये (लगभग)	दादा जी स्व. श्री विद्या सागर अबरथी के नाम पर है।	पूर्वजों से प्राप्त।	निरंक	- - -
3. - - -	-	कृषि भूमि 5 बीघा	20 लाख रुपये (लगभग)	दादा जी स्व. श्री विद्या सागर अबरथी के नाम पर है।	पूर्वजों से प्राप्त।	निरंक	- - -

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर AS 11
05.01.21

नाम सिद्धांत अबरथी

पद स्थायी लेखाधिकारी

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अंजूषा श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद शीघ्रलेखक 3. वर्तमान वेतन 68,500/- अगली वेतन वृद्धि जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
सर्वधर्म कोलार रोड, जिला भोपाल	बहुमंजिला भवन में फ्लैट नंबर 102, सागर प्रीमियम टॉवर, फेस टू कोलार रोड, भोपाल	निल	लगनग रु. 35.00 लाख	स्वयं	मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन से जुलाई 2018 में स्वयं की बचत एवं लोन द्वारा	कुछ नहीं	-

- जहां लागू न हो काट दीजिए ।

- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय ।

- उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम अंजूषा श्रीवास्तव

पद शीघ्रलेखक वर्ग-2

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021।

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... सुनीता सोडिया
 2. वर्तमान धारित पद..... सी.एस.ओ. 3. वर्तमान वेतन..... 60,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) न्यू चौकले नगा लांबा वेडा, तटवील हुजूर भोपाल	भवन 30x50 SBI बैंक दाऊतिंग सम्पा	-	35.00 लाख	संयुक्त रूप से मेरे एवं मेरे पति के नाम से	स्वयं की कथित रूप से LIC- HFL से लोन संयुक्त रूप से शुद्ध भुगतान कर के हेतु दिनांक 16/8/2010 को शुद्ध लिया गया।	-	-
2) भोपाल	फ्लैट (2BHK) बिल्डर सेवा	-	15.00 लाख	संयुक्त रूप से मेरे एवं मेरे पति के नाम से	LIC-HFL से मेरे पति सेवा शुद्ध लिया गया।	निवासरत	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... Sunita
 नाम..... सुनीता सोडिया
 पद..... सी.एस.ओ.

फार्म
वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो..... यशपाल राय (2) धारित पद..... डी.डी.ओ.
(3) वर्तमान वेतन..... 57400/- (4) अगले वेतन वृद्धि की तारीख..... 1-7-2021

उस जिले, उप सभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक विरासत में, या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
१११२ श्रीमती जि.रा. लाला	भोटा	-	13.00 म ²	रखे हैं नए न	2008 ई. में का लाला लाला का लाला लाला	11.1	

- 1.- जहाँ लागू न हो काट दीजिए :
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है
- टिप्पणी : छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के नियम-19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर.....
नाम..... P. C. Sharma
पद..... Steno
दिनांक: 6/1/2021
जि.रा. लाला
का लाला लाला
का लाला लाला

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो -श्रीमती अर्चना पंडे
2. वर्तमान धारित पद-शीघ्रलेखक
3. वर्तमान वेतन 80000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख.- जुलाई 2021

3. वर्तमान पतेन 800000 + D.A. जंगल प्रदायित्व पर तारीख: जुलाई 2021							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल में	रीगल टाउन ग्राम खजुरीकला में एम.आई.जी. फ्लेट जो लगभग 62 वर्गमीटर	निरंक	फ्लेट -28,00,000 / -	स्वयं के नाम	अपनी बचत तथा बैंक लोन रु. 18,00,000 / - से	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

Arunam pample

(श्रीमती अर्चना पंडे)

शीघ्रलेखक वर्ग-2,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

29/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अभिषेक कुमार जी
2. वर्तमान धारित पद डी.ए.ओ. 92/2 3. वर्तमान वेतन 62,700/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाठ	ह. 0. 62 प्लॉट अमार मंड सचिवालय रौड, मोपाठ	-	अनुमानित रु. 10.00 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं की वपल	-	
मोपाठ	01. I. 62 7-1, ग्राम काम्यल 4 स 10, जे.एम. 4 27001 हनुमानगंज, मोपाठ	-	अनुमानित 01 लाख रु. 18.00 लाख	श्री मली लाल (पत्नी)	स्वयं की वपल व पिलली हनुमान मंड रौ.	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिजनों के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा

हस्ताक्षर

नाम

पद

अभिषेक कुमार जी

डी.ए.ओ. 92/2

अभिषेक कुमार जी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021
अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रक्षा श्रीवास्तव वर्तमान धारित पद स्टेनोग्राफर
वर्तमान वेतन 66500/- पे अगली वेतनवृद्धि की तारीख 04/11/2021

उस जिले उपसभागा, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेज या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	—	लगभग 30 लाख रुपये	स्वयं	रोहित हाउसिंग सोसायटी से प्लॉट अर्जित करने का दिनांक 18.10.2004	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रैक्टिक बाहर महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

दिनांक:- 02/02/2021

हस्ताक्षर

नाम

पद


श्रीमती रक्षा श्रीवास्तव
स्टेनोग्राफर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- उर्मिला सिंह, शासकीय सेवक वर्तमान धारित पद- स्टेनोग्राफर वर्तमान वेतन कुल 68500 + डी.ए. अगली वेतनवृद्धि- 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल अविनाश नगर	मकान	आवासीय	लगभग-70.00 लाख	स्वयं के नाम	वित्त विभाग से ऋण लेकर 1999-2000 में केदार हाउसिंग गृह निर्माण सोसाइटी से प्लॉट कय कर मकान बनाया।	—	—
— जहां लागू न हो काट दीजिए। — ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय। — उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है। टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।						हस्ताक्षर <u>Urmila Singh</u> नाम - उर्मिला सिंह पद- स्टेनोग्राफर संचालनालय न0प्र0 एवं विकास	

कृपया संचालनालय के पत्र क्रमंक स्था-3/सा-350/2021/6 दिनांक 01/01/2021 के अनुक्रम में प्रेषित है।

झुड़ा-नोटिस

दि. 4-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Marykutty Samuel
 2. वर्तमान धारित पद Stenographer 3. वर्तमान वेतन 46700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				नि 20			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Marykutty Samuel

नाम Marykutty Samuel

पद Stenographer

6/1/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एलिजाबेथ विनाय सकारिया
 2. वर्तमान धारित पद सी.एल.एल. - 3 3. वर्तमान वेतन 39,800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 02/01/2021
 नाम एलिजाबेथ
 पद सी.एल.एल. - 3

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- विभा रायकवार, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास,म.प्र.भोपाल
2. वर्तमान धारित पद- शीघ्रलेखक वर्ग-3
3. वर्तमान वेतन - 38600+ डी ए अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2020

उस जिले,उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरोद, पट्टा, बंधक,विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम बैरागढ़ चीचली विकास खण्ड-फन्दा तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)	नहीं	भूमि 372.62 वर्ग मीटर खसरा नं. 203, प.ह.न 38/29	10,00,000/-	स्वयं के नाम पर	ऋण, पार्ट फायनल, स्वयं की बचत एवं पारिवारिक सहयोग द्वारा दि. 22.05.2010 श्री महेश कुमार पंवार से कय किया गया।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

हस्ताक्षर

नाम:- विभा रायकवार
पद :- शीघ्रलेखक वर्ग-3

Signature 4-1-2021

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम,1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... सतीश खत्री श्रीधूलैवक वर्ग-3
2. वर्तमान धारित पद..... श्रीधूलैवक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन..... 28750 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... जुलाई-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... SV
नाम..... सतीश खत्री
पद..... श्रीधूलैवक वर्ग-3

दिनांक..... 05/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... Anil Ahuja, Stenographer Gr. 3
 2. वर्तमान धारित पद..... Stenographer Gr. 3..... 3. वर्तमान वेतन..... 30500/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 1 July 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	✓			NIL			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुक्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... Anil Ahuja

नाम..... Anil Ahuja

पद..... Stenographer Gr. 3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनिल रघुवंशी, सचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
2. वर्तमान धारित पद सीधे लेखक वर्ग - 03 3. वर्तमान वेतन 28700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - ललोई तह. - गंजबासोदा जिला - विदिशा म.प्र.	-	18 बीघा	लगभग 50 लाख	-	(चैतृक भेंट) विरासत भेंट	लगभग 2 लाख	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अनिल रघुवंशी 12.01.2021

नाम अनिल रघुवंशी

पद सीधे लेखक वर्ग - 03

दिनांक - 12.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीपक माझी, शीघ्र लेखक वर्ग-3, संचालन विभाग
 2. वर्तमान धारित पद शीघ्र लेखक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 30500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख _____

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निराकरण							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके तत्पितामह के

हस्ताक्षर _____

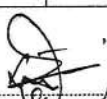
नाम दीपक माझी

पद शीघ्र लेखक वर्ग-3

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- रमेश कुमार सिंह
2. वर्तमान धारित पद- अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन 62,700/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम- खजुरी कलां वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	-	(1) खसरा नम्बर 292/2/2/2 में से अंशभाग रकवा-185.87 वर्ग मीटर.	क्रय मूल्य रु.1.50 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.2.20 लाख	श्रीमती संगीता सिंह (पत्नी)	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से । श्रीमती सुनीता गुप्ता से दिनांक 04.03.2010 को क्रय की गई ।	कुछ नहीं	जानकारी संचालना के पत्र क्रमांक/ 3/सा-350/2021/ दिनांक 01.01.2021 संदर्भ में प्रेषित ।
ग्राम-चीचली वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	-	(2) खसरा नम्बर 398/1, 399, 400, 403 में से अंशभाग रकवा-139 वर्ग मीटर.	क्रय मूल्य रु.4.575 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.5.00 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से । श्री गोविन्द सिंह मीना से दिनांक 25.03.2014 को क्रय की गई ।		
ग्राम-नीलबड वि.खण्ड-फन्दा भोपाल (म.प्र.)	-	(3) खसरा नम्बर 542/2, 543/1, 548/2, 559, 464/2, कुल रकवा 1.270 हेक्टेयर में से 74.34 वर्ग मीटर	क्रय मूल्य रु.3.00 लाख वर्तमान मूल्य लगभग रु.3.50 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं पिताजी के सहयोग से । श्री इमरतलाल से दिनांक 15.07. 2014 को क्रय की गई ।		
-- जहां लागू न हो काट दीजिए । -- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय । -- उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है । टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।						हस्ताक्षर  4/11/2021	नाम- रमेश कुमार सिंह पद- अधीक्षक संचालनालय न0प्र0 एवं विकास

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ईश्वरदास बाथम 2. वर्तमान धारित पद अधीक्षक

3. वर्तमान वेतन रुपये 54,100.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

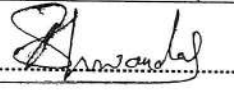
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नीलबढ़ भोपाल	—	भूखण्ड	15,00,000	स्वयं के नाम से	वर्ष 1995 में खरीदा गया विक्रेता श्री जी.पी. विश्वकर्मा	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम — (ईश्वरदास बाथम)

पद — अधीक्षक

दिनांक — 20.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....अनिता डोंगरे
2. वर्तमान धारित पद.....अधी शक 3. वर्तमान वेतन.....48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....01.01.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. श्रीपाल	गृह	—	60.00 लाख अनुमानित	पति एवं स्वयं के नाम से	वर्ष 2004 में क्रय किया (7,99,0500) रुपये मूल्य रु. 3.00 लाख बैंक प्रेषण 1,79,000 (स्वयं की वचन) रु. 2,70,000 जी.पी.एफ. (फर्टि फाइड) पति एवं स्वयं रु. 50,000 समुदायिक भू-माला (स्वदेश विरासत के रूप में)	निरंक	पति के पद से रु. 2 लाख का पति
2. श्रीपाल श्रीपाल	फ्लैट	—	25.00 लाख अनुमानित	— 40 —	वर्ष 2012 में क्रय किया गया (मूल्य 18.50) रुपये 10,00,000/- बैंक से श्री श्री जी.पी.एफ. से (पति एवं स्वयं) एवं स्वयं की वचन एवं रिश्तेदारों के उधार लिए गए। (स्वदेश विरासत के रूप में)	रु. 111.00 = 10 मासिक रु. 2000 = 10 से कुल 13100 = 10 बि	21

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....Donkey 13.01.2

नाम.....अनिता डोंगरे

पद.....अधी शक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... मोहिनी श्रीवास्तव
 2. वर्तमान धारित पद..... अधीनस्थ 3. वर्तमान वेतन..... 58,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	भवन	-	50,000/-	मोहिनी श्रीवास्तव (स्वयं)	एलाट खरीद दिनांक 24.11.2001 श्री अकल भली श्री दिनेश शाह अली-पंजथ नगर कॉलोनी, रेलवे स्टेशन - मोपाल	निल	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम..... मोहिनी श्रीवास्तव

पद..... अधीनस्थ

11-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ज्योति वर्मा श्री जी.एस. वर्मा
 2. वर्तमान धारित पद सहायक महानिरीक्षक 3. वर्तमान वेतन SD200 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीपाल	गृह	250000/- 38,0000/-		स्वयं तथा पति	बैंक लोन एवं पति के रियायतों के राशि से।		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर ज्योति वर्मा 08.01.2021
 नाम ज्योति वर्मा
 पद सहायक महानिरीक्षक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... नरेश कुमार (G.M.)
 2. वर्तमान धारित पद... अ.व. 1
 3. वर्तमान वेतन... 55700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 01.01.21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
दुजुर	—	भूमि	1,10,000/-	स्वयं	अ.य	नही	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

नरेश कुमार (G.M.)
अ.व. 1
 23.01.21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... श्री. एस. यशवंत आलोचना सेवा
2. वर्तमान धारित पद... सहायक डी.आई. 3. वर्तमान वेतन... 42000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① (मोपाल संभाग) आलोचना सेवा कोला 105 मोपाल	गृह	-	15.00 ला/व	बंधक	वैत विभा (मोपाल) मोपाल के 125 लेख वालोनो इजा से मुक्त कद विभा (मोपाल) होमर विभा (मोपाल) रा. मोपाल विभा (1999) पत्नी एकांत मद - मद पा अपत राही के पादसुध से (आर. भार. विभा) विभा - का 2015	-	-
② 21 तीवर् मोपाल	-	पट्टा	2.50 ला/व	श्रीमती नंदा यशवंत (पत्नी)	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

2/11/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो AVTAR SINGH
 2. वर्तमान धारित पद Asst Gv I 3. वर्तमान वेतन 13250-2800-16000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/04/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर्चेन ग्रीन		Plot	8.25	स्वयं	आर्चेन ग्रीन सोसाइटी BHOPAL March 2009 में खरीदा गया		
ग्राम खेजडा खामद विदिशा रोड मोपाल		7.75 एकड़ खेजडा भूमि	35/90.	माता जी, माई एवं स्वयं के नाम पर	पैतृक सम्पत्ति		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के

हस्ताक्षर

नाम

पद

Asst Gv I
Avtar Singh
Asst Gv I

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनोद शाखा, संचालनालय नगरिय प्रशासन एवं विकास
2. वर्तमान धारित पद सहायक कोड-1 3. वर्तमान वेतन 42250/- + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	① S3 सोमेश होम अवधपुरी	—	8 लाख लगभग	श्रीमती सुनिता शर्मा पति	पैतृक मकान एवं स्वयं का प्लॉट विषय कर/25-04-2008 18-09-2018	36,000/-	—
	② 162 LTJ सोनारिरी	—	22 लाख	—/—	—	—	—
	③ 65 शुभालय भारवेडी	—	42 लाख	स्वयं के नाम पर	होम लोन एवं गहनों को विक्रय कर। 20-02-2018	—	11.50 लाख देना शेष

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम विनोद शाखा

पद सहायक कोड-1

20/11/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020।

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... राजेश कुमार शर्मा
2. वर्तमान धारित पद..... सहायक प्रभारी I..... 3. वर्तमान वेतन..... 52500 न पन 6300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट प्रमाण जी-3 गणपति अपार्टमेंट सर्वधर्म वी. सेक्टर कोलार रोड भोपाल		रु 14.00 लाख	स्वयं के नाम	भारतीय जीवन बीमा निगम भोपाल क्षेत्र निवास मूल्य रु 4.00 लाख ग्राहक श्री महेन्द्र शर्मा से निवासी गणपति-1 अपार्टमेंट सर्वधर्म वी. सेक्टर कोलार रोड भोपाल क्षेत्र दिनांक 22.8.2015 को प्रयुक्त किया गया।	छुट नहीं	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... 20/11/2021

नाम..... राजेश कुमार शर्मा

पद..... सहायक प्रभारी I

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... कुंवर कौरा
2. वर्तमान धारित पद..... अधीन 925-1 3. वर्तमान वेतन..... 41,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01.07.2022

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उपरोक्त नाम कोषाद	गृह		14,00,000/-	स्वयं	माझी 515 में दिया गया है जी 21/11/35 मारु महाराष्ट्र	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... कुंवर कौरा

नाम..... कुंवर कौरा

पद..... अधीन 925-1

दिनांक 11.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 31.12.15 गुप्त
2. वर्तमान धारित पद 11/01/24 3. वर्तमान वेतन 51,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.201

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ए.पु.त.द.ली. 68/97 त्रिभुज कालोरी भांगल	nao			ए.पु.त.द.ली. गुप्त के नाम पर 1500 S feet L.115 पर	वर्ष 1998 में हाउसिंग लेताईसी से लाने का कार- वर्ष 1994 में नाम निर्माण वर्ष 2020 में वै. से लेन लेने पर मजिस्ट्रेट पर निर्माण	निर्दि	
② आ.पु.त. पिपिलि पि.पी. होशंगा बा.र. र.ड. ल.न.र. नं 222		1500 S feet	55.00 न.र.र. र. Book म.	ए.पु.त.द.ली. गुप्त के नाम पर 1000 S feet वर्ष 2013	11000 अ.र. पी.र. न.र. के निर्माण का- वर्ष 2013 में नाम- 305 किमी	निर्दि	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 11/01/24

नाम 31.12.15 गुप्त

पद 11/01/24

11/01/24

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जमेश्वर परात
2. वर्तमान धारित पद रसदा वर्ग - 1 3. वर्तमान वेतन 38600 + 463244 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल अयोध्या बगल	गृह	-	15.00 बार	स्वयं	मंजू गृह निर्माण मण्डल भोपाल (भाड़ा कुप पर)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Parete 05/01/2021

नाम जमेश्वर परात

पद रसदा वर्ग - 1

फार्म
* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर
2. वर्तमान धारित पद-सहायक वर्ग-एक 3. वर्तमान वेतन - 41000+4920

अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध में।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नार्थ टी. टी. नगर (बाण गंगा) झरनेश्वर मंदिर के पास भोपाल (म.प्र.)	Plot No.230, Jugggi No.2 H.No 1081 रकवा 16 x 36= लगभग 576 वर्गफीट	झुग्गी	कय मूल्य Rs 2.20 Lakh वर्तमान मूल्य Rs 2.40 Lakh	स्वयं के नाम	वर्ष 2008 में कय बैंक से ऋण एवं स्वयं की बचत राशि से कय किया गया।	कुछ नहीं	(संचालनालय के प.स्था-3/सा-350/2006 दि० 01.01.2021 संबंध में जानकारी)
धुआ-खेड़ा ग्राम-बोरदा कोलार रोड भोपाल (म.प्र.)	20 X 30 =600 Sqft	प्लॉट	कय मूल्य Rs 6.37 Lakh वर्तमान मूल्य Rs 7.00 Lakh	स्वयं के नाम	वर्ष 2011 में कय बैंक से ऋण एवं स्वयं की बचत राशि से कय किया गया।	—	
ग्राम-सेवनिया-ओंकारा - विकासखण्ड-फन्दा तहसील-हुजूर भोपाल (म.प्र.)	ख.नं. 292/1/1, 295/2, 295/1/2, 296, 293 का अंश भाग है, रकवा 0.0232 हैक्टेयर प.ह.क 15/20, अर्थात् कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट अर्थात् 232.34 वर्गमीटर	कृषि भूमि	कय मूल्य Rs 6.75 Lakh वर्तमान मूल्य Rs 7.00 Lakh	संयुक्त रूप से (पत्नी) के नाम	वर्ष 2015 में कय बैंक से ऋण एवं स्वयं की बचत राशि से कय किया गया।	—	

* जहां लागू न हों काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

स्थान : भोपाल

दिनांक : 09-01-2020

हस्ताक्षर

नाम- धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर

पद- सहायक ग्रेड-ए

Dt 11/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बलराम लखनवा
2. वर्तमान धारित पद जहा 202-2 3. वर्तमान वेतन 42000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① बलराम - नीलोदर पारस-नरसिंह तट नरसिंह जिला-राजमह संभाग-मोहल	—	अर्जित	30,000,00/-	5 बच्चों के राजमह	विरासत	600,00/-	
② अकबरपुर कोहा 202 मोहल	वेतन	—	20,000,00/-	स्वयं के बचत से	शासकीय नाम	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर बलराम लखनवा 11/12
नाम बलराम लखनवा
पद जहा 202-2

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. निर्मला जनिपात्री
 2. वर्तमान धारित पद 2-8/25-2 3. वर्तमान वेतन 42,200 अगला वेतनवृद्धि की तारीख 11-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्वाक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम निर्मला जनिपात्री
 पद 2-8/25-2
4-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... राजेश्वर नाथ नाथ
 2. वर्तमान धारित पद... सहायक, वर्ग-2 3. वर्तमान वेतन... 33100 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल लालबाग नगर कोलाट रोड	गृह	—	लगभग 8 लाख रुपये	स्वयं	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेनोव, लेबर खरीद 31/07/2006 में चेरिफ गृह निर्माण, सहकारी समिति भर्तीद्वारा पंजीयन बनोब-डी. आर. बी. -507 दिनांक 08/12/1986 द्वारा अध्यक्ष श्रीमती श्रीवर्मा लिटिंग पत्नी श्री बी. लिटिंग निवासी लालबाग नगर कोलाट रोड भोपाल (म.प्र.)	—	स्वयं के निवाले

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर... राजेश्वर नाथ नाथ
 नाम... राजेश्वर नाथ नाथ
 पद... सहायक, वर्ग-2
 दिनांक... 04-01-2021

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो उमाशंकर मालवी वर्तमान धारित पद- सहायक वर्ग- 2 वर्तमान वेतन कुल 49005/- 2800/- ग्रेड पे अगली वेतन वृद्धि-जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	एल0आई0जी0 ए/165-राजीव नगर गृह अयोध्या नगर, फेस-3 भोपाल	—	लगभग-15.00 लाख	स्वयं के नाम	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल से वर्ष 1997-98 में शासकीय ऋण से कय	—	शासकीय ऋण से क्रय किया गया ।
भोपाल	एल0आई0जी0 ए/164-राजीव नगर, गृह अयोध्या नगर, फेस-3 भोपाल	—	लगभग-15.00 लाख	स्वयं के नाम	वर्ष 2004-05 में बैंक ऋण से	—	बैंक ऋण से क्रय किया गया ।
ग्राम-मंडई बुजुर्ग, तहसील-बैतूल, जिला-बैतूल म.प्र.	पैतृक भूमि	पैतृक भूमि	लगभग-60.00 लाख	पैतृक कृषि भूमि स्वयं के नाम पर	वर्ष 2019-20 पैतृक कृषि भूमि लगभग 3.079 हेक्टेयर	—	—

— जहां लागू न हो काट दीजिए ।
— ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय ।
— उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर 
नाम - उमाशंकर मालवी 21/12/21
पद- सहायक वर्ग-2
संचालनालय न0प्र0 एवं विकास

कृपया संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-3/सा-350/2021/6 दिनांक 01/01/2021 के अनुक्रम में प्रेषित है ।

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिनेश प्रसाद पटेल
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वरिष्ठ 3. वर्तमान वेतन 35700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल जयपतिद्वारा ग्राम पंचायती तहसील-डुजरी	एक मकान	1100 वर्ग फिट	28.00 लाख	स्वयं	60 से अधिक लेकर कप किया गया है।	स्वयं उपयोग में	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर दिनेश प्रसाद पटेल

नाम दिनेश प्रसाद पटेल

पद सहायक वरिष्ठ

11/1/2021

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अरुण कुमार जोशी**, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल

2. वर्तमान धारित पद **सहायक वर्ग-2** 3. वर्तमान वेतन **29400** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार से अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल नेहरू नगर	गृह	—	लगभग 35 लाख 50000 हजार	श्रीमती कंकुबाई जोशी माता जी के नाम पर धारित है।	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल भोपाल के भाड़ाक्रय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 में सेड किशतों में मेरे पिता स्व.श्री सोहन लाल जोशी द्वारा खरीदा गया। वर्ष 2008-09 में स्टेट बैंक आफ इंदौर से ऋण रुपये 1 लाख 80,000 लेकर वित्त वर्ष में ही मकान का निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2008-09 में बैंक ऋण राशि की किश्त प्रारंभ की गई है। किश्तों का भुगतान वर्ष 2008-09 से 10 वर्षों के लिये किया जाना है जो निरन्तर किया जाकर वर्ष 2018 में पूर्ण होकर बैंक ऋण राशि रुपये 1 लाख 80,000 का भुगतान किया जा चुका है। उक्त बैंक ऋण वित्त वर्ष 2018 को समाप्त हो गया है। कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम, 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर:— 04/01/2021.....

नाम:-अरुण कुमार जोशी

पद:-सहायक वर्ग-2

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... लालचंद शर्मा
 2. वर्तमान धारित पद..... सी.एस. जे. II 3. वर्तमान वेतन..... 46100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01.07.2024

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल बेरागा (संनदिलाल) नं. 1 देहरी जिम्मा कोई	गृह	—	25.00 ला०	स्वयं	वर्ष 1998 में गृह मिमांसा से 20 म० 1980 का लोन से (2011) का जमा,	—	
	गृह	मूला 15/70	10.00 ला०	पत्नी	2017 में स्वयं किताबत	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

लालचंद शर्मा
सी.एस. जे. II

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एम० एन० रश्मि - पत्नी प्रमोद
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वरि 3. वर्तमान वेतन 36000 + 0.8 अगली वेतनवृद्धि की तारीख अगस्त 2022

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

एम० एन० रश्मि
सहायक वरि
15/1/24

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... 3381 11019
2. वर्तमान धारित पद..... 3381 11019 3. वर्तमान वेतन..... 5280-28200-28-8 अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 28.01.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. श्रीपल C. 169 मार्गवर्ती श्रीमदरवि	श्रीमदरवि	-	24,00,000 अर्जित		C. 13.7.7801 कानूनानुसार	111	
2. श्रीमदरवि श्रीमदरवि श्रीमदरवि श्रीमदरवि श्रीमदरवि	श्रीमदरवि 1.1.33		- श्रीमदरवि श्रीमदरवि		श्रीमदरवि	111	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... डी. पी. लीला देवी २४२५०१३ II
 2. वर्तमान धारित पद... २४२५०१३ II 3. वर्तमान वेतन... 5000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 1/4/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मि. (क)	मि. (क)	मि. (क)	—	—	—	मि. (क)	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर... डी. पी. लीला देवी
 नाम... डी. पी. लीला देवी
 पद... २४२५०१३ II
29/1/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुचेता शर्मा
 2. वर्तमान धारित पद सहायक जेड-2 3. वर्तमान वेतन 32200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर सुचेता शर्मा
 नाम सुचेता शर्मा
 पद सहायक जेड-2

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विष्णु प्रसाद पाठेड़
 2. वर्तमान धारित पद सहायक डेप्टी-02 3. वर्तमान वेतन 35100-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर विष्णु प्रसाद पाठेड़
 नाम विष्णु प्रसाद पाठेड़
 पद सहायक डेप्टी-

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो इ.के.ए. मन्त्रालय (स.व.दा.)
 2. वर्तमान धारित पद सहा. ब.ग. दा. 3. वर्तमान वेतन 42200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	फ्लैट (L.I.G.)	-	रु. 2500000/- (लगभग)	-	लघु भूमा गमा (बैंक ऋण)	-	आवास पर स्वयं का निवास

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर [सह. ब.ग. दा.]
 नाम आइ. ए. मन्त्रालय
 पद सहा. ब.ग. दा.

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अवचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो चन्द्र श्रृषण अग्रवाल
 2. वर्तमान धारित पद सहायक जी-2 3. वर्तमान वेतन 33,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① मिलेर नं० 8 H.I.G. ग्राम ग्रामसेवा - कोलाट शेड-तहसील दुल्लु जिला- ग्रेनाल	मिलेर 981, S. F.		20,00,000/-	खरीद	① सर्व सक्कान (मिलेर) रजिस्ट्रीन लेवकर तथा हाऊस लोन तथा वोल्ट लोन द्वारा मिलेर ख़रीद किया गया 2010 में किमत-15 लाख - लाख	नहीं	इस मिलेर का बिल्ट वारा परिधान नहीं दिया गया है।
② डूपलेवर बना हुआ L-45 हाईलेड मिलेर - AG-8 इन्दौर शेड फन्दा,	(20X30) डूपलेवर		20,00,000/-	खरीद	② L.I.C. सेम लोन तथा वोल्ट लोन, पर्सनल लोन तथा परिवार के लोन से उधार ले कर ख़रीद किया 2012 में किमत-12, लाख में।	नहीं	इस डूपलेवर का आज दिनांक तक परिधान नहीं मिला है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अवचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम चन्द्र श्रृषण अग्रवाल

पद सहायक जी-2

दि० 15/01/2021,

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... शिवसिंह नेगी
 2. वर्तमान धारित पद..... एस. ग्रेड - 2 3. वर्तमान वेतन..... 44800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 23.04.20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>सनखेडी</u> <u>के पास</u> <u>कोलार</u> <u>ओपाळ</u>	<u>मकान</u> <u>नं. 56</u>	<u>—</u>	<u>35 लाख</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक से लोन लेकर</u> <u>प्रियदर्शनी प्रिंसाइन</u> <u>फ़ा. लि. 10 नं. बस</u> <u>र-राफ़ ओपाळ के पास</u> <u>गया।</u> <u>(जून 2019)</u>		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी निजी नौकरी

हस्ताक्षर

नाम

शिवसिंह नेगी

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद..... 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ. शासकीय सेवा को लाल शर्ट मोहन	गृह	-	15 लाख	25 वरुन मोहन पुल	विरासत	x	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

6-1-21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर.पी.एन.

2. वर्तमान धारित पद सहायक 3. वर्तमान वेतन 34100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. मोपाल	फ्लैट	—	10,00,000/-	स्वयं के नाम	घरायें (बरेई) आवासीय मोजना मोपाल लोन लेकर	—	—
2. जबलपुर	टमारा	—	2,50,000/-	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं G.P.F से	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Arjun 08-01-2021

नाम आर.पी.एन.

पद सहायक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... जिरीश तिवारी
2. वर्तमान धारित पद... सहायक प्रो. II 3. वर्तमान वेतन... 46300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 1.1.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① मोपान	आवासीय भवन 30 मीटर x 50 मीटर सोपाना मोपान	-	लगभग 55 लाख	श्रीमती सुश्रुति तिवारी (माँ)	विरासत	निरंक	
② गौरीगंज वर्ग-26, मोपान	लॉटेन 36 25x50 = 1250 वर्ग फुट अर्थात् 116.17 वर्ग मीटर		लगभग 4 लाख 50 हजार मात्र	श्रीमती नीलम तिवारी (पत्नी)	वेतन की वार्षिक वृद्धि से	निरंक	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर J. Diver
नाम जिरीश तिवारी
पद सहायक प्रो. II
8/1/21

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो देवेन्द्र कुमार बारस्कर वर्तमान धारित पद- सहायक वर्ग- 3 वर्तमान वेतन कुल 31940/- 1900/- ग्रेड पे अगली वेतन वृद्धि - जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	बी/11 सौमित्र बिहार बावड़िया कला भोपाल	1400 स्क्वा. फिट में मकान	लगभग-38.00 लाख	स्वयं के नाम	बैंक ऋण वर्ष 2012, अन्य स्वयं की निजी बचत जैसे-एल.आई.सी. एवं शेष राशि माता-पिता से	-	-
ग्राम-गोपाल तलाई तहसील-मुलताई जिला-बैतूल MOPRO	कृषिभूमि	31 डिसमिल	लगभग-1.00 लाख	स्वयं के नाम	वर्ष 2004-05 में जीपीएफ एवं स्वयं की बचत से	-	-
ग्राम-गोपाल तलाई तहसील-मुलताई जिला-बैतूल MOPRO	कृषि भूमि	4.80 एकड़ 1440 स्क्वेयर फीट प्लॉट	लगभग-20.00 लाख + 10.00 लाख	पत्नी के नाम पैतृक भूमि	वर्ष 2012 में स्वयं की घरेलू बचत से	भवन किराये से लगभग रु. 1.90 लाख	-

— जहां लागू न हो काट दीजिए ।
 — ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय ।
 — उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम - देवेन्द्र कुमार बारस्कर

पद- सहायक वर्ग-3

संचालनालय न0प्र0 एवं विकास

कृपया संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-3/सा-350/2021/6 दिनांक 01/01/2021 के अनुक्रम में प्रेषित है ।

झुंडा-नोटिस

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

तोडक प्रसाद चौधरी
2020 जुलाई अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2021 जुलाई

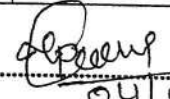
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
नाम तोडक प्रसाद चौधरी
पद सहायक डेपुटी

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री गरीबदास दोगने, (नगरपालिका सेवा) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास यांत्रिकी प्रकोष्ठ भोपाल
- वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3
- वर्तमान वेतन 39,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो,	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-पोखरनी तहसील-टिगरनी जिला-हरदा	स्वयं का मकान	कृषि भूमि 5.75 एकड़	लगभग रु. 42.00 लाख	पुत्र-विवेक दोगने उम्र (30 वर्ष) के नाम (स्व. श्रीमती कलीबाई दादी जी के द्वारा भेंट में प्राप्त)	भेंट में (दादी जी से पैतृक संपत्ति विरासत में प्राप्त)	1,50, 000/- वार्षिक	स्वयं के उपयोग में
		कृषि भूमि 3.50 एकड़	लगभग रु. 24.50 लाख	पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त पैतृक जमीन विरासत में 3.50 एकड़	पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त पैतृक जमीन 3.50 एकड़	60,000/- वार्षिक	स्वयं के उपयोग में
	स्वयं का मकान (कच्चा मकान) 15 X 40 = 600 वर्ग फीट	—	लगभग रु. 4.00 लाख	पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त पैतृक मकान विरासत में	पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त पैतृक मकान विरासत में	—	स्वयं के उपयोग में
2. भोपाल कोलार रोड	संयुक्त मकान पता-एम 243/2 राजहंस कालोनी मुकुल नगर कोलार रोड भोपाल 15 X 50 = 750 वर्ग फीट	—	लगभग रु. 38.50 लाख	स्वयं एवं पुत्र विवेक दोगने के नाम उम्र (30 वर्ष)	श्रीमती रागनी गौर राजहंस कालोनी कोलार रोड भोपाल से दिनांक 20.04. 2012 को मकान क्रय किया गया।	—	स्वयं के उपयोग में
3. हरदा, श्यामा नगर	संयुक्त मकान पता- मकान नं. 43, श्यामा नगर, हरदा 22 X 40 = 880 वर्ग फीट	—	लगभग रु. 20.00 लाख	स्वयं एवं पुत्र विवेक दोगने के नाम उम्र (30 वर्ष)	श्रीमती संगीता पारे, श्यामा नगर, हरदा से दिनांक 12.02.2019 को मकान क्रय किया गया।	—	स्वयं के उपयोग में एवं किराये से

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संबंध में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:-मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

नाम - गरीबदास दोगने

पद-सहायक ग्रेड-3

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
(यांत्रिकी प्रकोष्ठ) मध्यप्रदेश

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... रमेश गंगराज 4/1/2021
 2. वर्तमान धारित पद..... अ. 203 - 03 अ. 203
 3. वर्तमान वेतन..... 35200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	घर	लगभग 18.00 चौ. फी. मी.		स्वयं	अपनी संपत्ति से लेन एवं जी. जी. एफ.	निरंक	निरंक
	21.10.2020	250.00 रु.					

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

4.1/2021

रमेश गंगराज

अ. 203 - 03

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरि ओम मालवीय
 2. वर्तमान धारित पद सहायक डेप्टी-3 3. वर्तमान वेतन 34650/-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इटावा जिला मोहाना	मोहाना	—	12 लाख 3.50 लाख	पिताजी के नाम खरीद के नाम से R.R. सिविली बिल्डिंग मोहाना रोड कामपुर मोहाना से	पैतृक मोहाना जोत 581 से जेत 2 खरीदा	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर हरि ओम मालवीय

नाम हरि ओम मालवीय

पद सहायक डेप्टी-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... मीरा बाथम
2. वर्तमान धारित पद... सहायक ग्रेड-3 3. वर्तमान वेतन... 32200 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	मकान	—	रु. 37.00 लाख	—	बैंक लोन + GPF		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर मीरा बाथम

नाम मीरा बाथम

पद सहायक ग्रेड-3

दिनांक - 6/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2125 मिह राजपूत, सचालनालय, त.प्र. एवं विकास, म.प्र. भापा
 2. वर्तमान धारित पद सहायक 4/5 - III 3. वर्तमान वेतन 22718/- (करोड़) अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम 2125 मिह राजपूत

पद सहायक 4/5 - III

दिनांक - 01/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीपक कुमार बेसल, सहपाठक वर्ग-3
 2. वर्तमान धारित पद सहपाठक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 24700 (लेवल-4) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजगढ़ जिला राजगढ़ (शेफाला)	10.4 x 42.2 = 438.88 वर्गमीटर	मकान	415000/-	—	—	—	—
ग्राम-राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़	24 x 45 = 1125 वर्गमीटर	फाट	94100/-	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर दीपक कुमार बेसल 15/1/21

नाम दीपक कुमार बेसल

पद सहपाठक वर्ग-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विपिन शुक्ला
2. वर्तमान धारित पद सहायक वजी-3 3. वर्तमान वेतन 136501 अगली वेतनवृद्धि की तारीख _____

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① शावरती उ.प्र. पकपिहानी तह. भिनगा ग्राम पकपिहानी		कृषि भूमि 1 बीघा	500000/-	स्वयं	शासकीय सेवा से पूर्व अर्जित धन एवं पारिवारिक सदस्यों से आर्थिक मदद प्राप्त हुए सन् 2020 में क्रय की गई।	NIL	NIL
② शावरती उ.प्र. साम किशनपुर तह. भिनगा जिला शावरती		कृषि भूमि 1.5 बीघा	350000/-	स्वयं, माता, एवं भाई के नाम पर संयुक्त रूप से	पिता जी के स्वर्गवास उपरांत नियमानुसार स्वयं, माता एवं बड़े भाई के नाम पर संयुक्त रूप से नामांतरित।	NIL	NIL

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर विपिन शुक्ला
दिनांक 12/01/2021

नाम विपिन शुक्ला

पद सहायक वजी-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो निर्मला वर्मा, संचालन नगरिय प्रशासन एवं विकास
 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3 3. वर्तमान वेतन 23,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Nirmala
 11/01/2021
 नाम निर्मला वर्मा
 पद सहायक ग्रेड-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुनील सनोशिया, संजय नगरीय प्रशासन एवं विकास
2. वर्तमान धारित पद सहा. जेड-3 3. वर्तमान वेतन 19,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निराक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

*** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Sunil
12/01/21

नाम..... सुनील लनोडिया

पद
सहा. ग्रेड - 3

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **चन्द्रकांत तिवारी, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल**

2. वर्तमान धारित पद **सहायक वर्ग-3** 3. वर्तमान वेतन **30400** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार से अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल कटारा हिल्स	गृह	—	लगभग 23 लाख	स्वयं एवं पत्नि के नाम पर धारित है।	म.प्र.गृह निर्माण मण्डल भोपाल द्वारा भवन निर्मित हो जाने के उपरांत श्री बी.राजेन्द्रराव को आवंटित किया गया था। जिसे मेरे द्वारा श्री बी.राजेन्द्रराव से वर्ष 2011 में 6 लाख में क्रय किया गया। जिसे मेरे द्वारा पूर्व की सम्पत्ति को विक्रय कर शेष राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण लेकर राशि रुपये 3 लाख 48000 ऋण लेकर वर्ष 2011 में खरीदा गया। बैंक किश्तों का भुगतान वर्ष 2011 से निरन्तर किया जा रहा है।	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम, 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर:-

(Signature)
04/01/2021

नाम:- **चन्द्रकांत तिवारी**

पद:- **सहायक वर्ग-3**

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. चन्द्रशेखर ठाकुर

2. वर्तमान धारित पद. सहा. रजि-3

3. वर्तमान वेतन. 24000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सिकन्दरवाड़ा तहसील हुन्ना जिला झीपाट (1250 वर्ग फीट)		भूमि	तीन लाख	स्वयं के नाम	खरीद	शून्य	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Chandrasekhar

नाम चन्द्रशेखर ठाकुर

पद सहा. रजि-3

दि. 04.01.2021

फार्म

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनिल कुमार कुर्मी, तृतीय श्रेणी सेवा
2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 24700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन, भोपाल, उदयपुरा, किशनपुर	निरंक	12 एकड़, (कृषि भूमि)	लगभग 48 लाख	स्वयं के नाम पर	पिताजी से विरासत में प्राप्त	लगभग 1.20 लाख	माता-पिता के उपयोग में

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम-अनिल कुमार कुर्मी

पद-सहायक वर्ग-3

दिनांक-04.01.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गंदिनी शर्मा अहापक वर्ग III
 2. वर्तमान धारित पद अहापक वर्ग III 3. वर्तमान वेतन 20700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर MRM
 नाम गंदिनी शर्मा
 पद अहापक वर्ग III-3
04/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... जे. ड. लाल गोस्वामी
2. वर्तमान धारित पद..... सहायक निरीक्षक-3
3. वर्तमान वेतन..... 20700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम..... J. D. Lal Goswami

पद..... सहायक निरीक्षक-3

04/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... वरुण शर्मा (नया नगर-3, पंच विमान)
2. वर्तमान धारित पद..... Assistant Grade-3 3. वर्तमान वेतन..... 20700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... Varshy

नाम..... Varshy Phakar

पद..... Assistant Grade-3

04/07/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो SHUBHAM RAJWAL
2. वर्तमान धारित पद ASSISTANT GRADE-3 3. वर्तमान वेतन 20100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N I L			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Shubham

नाम SHUBHAM RAJWAL

पद ASSISTANT GRADE-3

02/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद.....
 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निर्देश

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... 05-01-2021

नाम..... कु. तारा वाई राजपूत

पद..... सहायक जे-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. अत्यदीप सुद्धोशिया
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्गी-3 3. वर्तमान वेतन Level-4, 19560 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम अत्यदीप सुद्धोशिया

पद सहायक वर्गी-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंकित मालवीय
2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 20700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर अंकित मालवीय
05/01/2021
नाम अंकित मालवीय
पद अधीनस्थ वर्ग-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सरोज कर्मा, सहायक वर्ग - 3
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग - 3 3. वर्तमान वेतन 25,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के

हस्ताक्षर Brij Mohan
 नाम सरोज कर्मा
 पद सहायक वर्ग - 3
 दिनांक :- 04/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रिद्धि शुक्ला
 2. वर्तमान धारित पद सहायक गेड - III 3. वर्तमान वेतन 19500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Riddhi 05.01.2021
 नाम रिद्धि शुक्ला
 पद सहायक गेड - III

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हामिनी जोले
 2. वर्तमान धारित पद अध्यापक - 3 3. वर्तमान वेतन 19500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 05.01.20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil	— Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर हामिनी जोले 05.01.20
 नाम हामिनी जोले
 पद अध्यापक - 3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... पमेलीन परत
 2. वर्तमान धारित पद..... सहायक वी-03 3. वर्तमान वेतन..... 22600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① नीलबड मोपाल	-	लगात लगभग 06 लाख	स्वयं एवं भाई के नाम पर संयुक्त रूप से।	॥ खरीद ॥ दिनांक 12-01-2017 रामकुमार नारा बलरेश, तह. कुमुद मोपाल (म.प्र.) - खरीद (लोन) दिनांक - 14.2.2020 मेलरु ईशान डेलपु राम.च. नगर, मोपाल (म.प्र.)	-	-	
② समरधा चन्निमाला वड-85 मोपाल	-	लगात लगभग 17 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से।				

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... पमेलीन परत 7.1.21
 नाम..... पमेलीन परत
 पद..... सहायक वी-03

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विवेक राजपूत, सहायक वर्ग - 3
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग - 3 3. वर्तमान वेतन 20,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सिवरेडी जिला मुर्ना	—	8 Bhasa	85,000/- नगभूमि	स्वयं के	खरीद	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर विवेक राजपूत

नाम विवेक राजपूत

पद सहायक वर्ग - 3

07/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रामा लई रायपुरिया, स. गे.-3, संचालनालय, नगरीय
 2. वर्तमान धारित पद सहायक गे-3 3. वर्तमान वेतन 24700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NA							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

रामा लई रायपुरिया

पद

सहायक गे-3

29-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीराम सिंह कोरव अयात्पालय न.पू. स्व.वि. भोपाल
 2. वर्तमान धारित पद सहा. गैड-मन 3. वर्तमान वेतन 10500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख —

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	निश्चय			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... Shruti

नाम शोरम सिंह कौरव

पद सहाय वि०-३

Ag. - 06-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... पी. के. ज. चौहान (शासकीय) एस. ज. प्र. र. फ. वि. वि. वि.
2. वर्तमान धारित पद..... स्टा. ग्रेड-3..... 3. वर्तमान वेतन..... 24,000..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... 04-01

नाम..... पी. के. ज. चौहान

पद..... स्टा. ग्रेड-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. अनिल कुमार पटेल (तृतीय श्रेणी)
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग-3 3. वर्तमान वेतन 19500-62000(21300) अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम अनिल कुमार पटेल

पद सहायक वर्ग-3

दि 01 फरवरी 2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हिरामन गायकवाड (सहायक बर्ग - 03)
 2. वर्तमान धारित पद सहायक बर्ग - 03 3. वर्तमान वेतन 20,400/- अंगली वेतनवृद्धि की तारीख 15-1-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Hiraman
15-1-2021
 नाम हिरामन गायकवाड
 पद सहायक बर्ग - 03

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नागेन्द्र प्रसाद माझी संचालनालय नगीन-7-2018
2. वर्तमान धारित पद सहायक 9-03 3. वर्तमान वेतन 23300 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम मेडोरी राजीव नरेश कुमार जि. भोपाल	-	1200 Sq फिट	5,20,000.00	मिली कृषा देवी माझी (पत्नी)	भारतीय स्टेट बैंक से सबका रुप स्वयं की बचत से 02-11-2018	-NIL-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम नागेन्द्र प्रसाद माझी
पद सहायक 9-03
15-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020.

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो असंत कुमार चौडे
 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग - 3 3. वर्तमान वेतन 19500 - 62000 (21300/-) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सरस्वारजी आध्याश्रित वरखेडा पठानी ओपाल	गृह	-	24,50,000/-	स्वयं तथा पत्नी के नाम से	बैंक लोन, अचल एवं पारिवारिक सम्पत्ति से।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Asant Kumar Choudhary
 नाम असंत कुमार चौडे
 पद सहायक वर्ग - 3

दि. 05/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... मुकेश भारती
 2. वर्तमान धारित पद..... सहायक गेज-3 3. वर्तमान वेतन..... 21900+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रिक्त							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... मुकेश भारती 12/01

नाम..... मुकेश भारती

पद..... सहायक गेज-3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंजुम खान (सहायक ग्रेड - 3)
 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड - 3 3. वर्तमान वेतन 21900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	महफ्लेट न- 201, मिलेनियम गोल्डन इम्पर्टमेंट, कौडीफजा भोपाल	—	35.00 लाख	पति के नाम	किया गया वर्ष - 2014	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर अंजुम खान 01.07.21

नाम अंजुम खान

पद सहायक ग्रेड - 3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम सुजान देव
 2. वर्तमान धारित पद सहायक से 3 3. वर्तमान वेतन 33200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राम सुजान देव रानी देव तहसील दूनुर भोयल	प्लॉट	प्लॉट	3,18,000/-	(पत्नी) रजिस्ट्रार देव के नाम से प्लॉट	बैंक से पर्सनल लोन लेकर प्लॉट कम किया गया 2015 में	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राम सुजान देव

नाम राम सुजान देव

पद सहायक से 3

5-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... सुहायक प्रसाद गौतम
2. वर्तमान धारित पद..... सुहायक प्रसाद गौतम 3. वर्तमान वेतन..... 36200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... सुहायक प्रसाद गौतम 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	—	निरंक	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम..... सुहायक प्रसाद गौतम

पद..... सुहायक प्रसाद गौतम

ता० 6-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. दयावती तेजाम, सहायक गेड-3
 2. वर्तमान धारित पद सहायक गेड-3 3. वर्तमान वेतन 23300 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil				Nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर [Signature] 6/1/20

नाम दयावती तेजाम

पद सहायक गेड-3

दिनांक - 6/1/2021

फार्म

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... गुजन सिंह
2. वर्तमान धारित पद..... सहायक वरी - 03 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... परिवर्षा समाप्त

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... 22.01.20

नाम..... गुजन सिंह

पद..... सहायक वरी - 3

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोज कुमार
 2. वर्तमान धारित पद सहायक डेपुटी 3. वर्तमान वेतन 23300 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर मनोज कुमार

नाम मनोज कुमार

पद सहायक डेपुटी

दिनांक 25/11/21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री जितेन्द्र सिंह तृतीय श्रेणी टिप्पणी प्रमाण
2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3 3. वर्तमान वेतन 27,800-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला ओराissa तहसील कोलाश (तत्कालीन तहसील कोलाश)	भवन	—	लगभग रूप 33.00 लाख	स्वयं तथा छोटे भाई हेमेश्वर सिंह के नाम संयुक्त रूप से है	जनवरी 2016 में प्लॉट क्रम क 2 अक्षर प 2 मफान बनाया गया है	निल	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 23-01-2021

नाम जितेन्द्र सिंह

पद सहायक ग्रेड-3

फार्म

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 19.4.2020 के (चुनाव) लेखा
2. वर्तमान धारित पद 19.4.2020 3. वर्तमान वेतन 33000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.1.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निक			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम विष्णु राव

पद

18-1-21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सैय्यद जावेद हुसैन वाहन चालक
 2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 3. वर्तमान वेतन 43,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	—	4.5 लाख	—	विरासत	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम सैय्यद जावेद हुसैन

पद वाहन चालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....नेत्र प्रसाद महाराज
 2. वर्तमान धारित पद.....वाहन चालक 3. वर्तमान वेतन.....42200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....नेत्र प्रसाद महाराज
 नाम.....नेत्र प्रसाद महाराज
 पद.....वाहन चालक
 12/11/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद.....
 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	किं०	किं०	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

08/01/21

फार्म

प्राथमिक पत्रिका

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कमल कपूर राय (प्राथमिक पत्रिका)
2. वर्तमान धारित पद ज. ए. डी. चोकर 3. वर्तमान वेतन 28,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोमल	मकान		800000/- मोमल आठ लाख	2 वरग मी. है	विरासत	X	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर कमल कपूर राय

नाम कमल कपूर राय

पद ज. ए. डी. चोकर

21-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... देवेन्द्र सिंह, तृतीय श्रेणी (आ.श.)
 2. वर्तमान धारित पद... वाइस चान्सेलर (आ.श.)
 3. वर्तमान वेतन... ₹ 24,000 अंतिम वेतनवृद्धि की तारीख... 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला झारखण्ड राँची जिला [राँची जिला] राँची जिला कोलार	सकल	-	लगभग 23.00 लक्षों के आसपास	वर्तमान में कोलार जिला में प्लॉट पर संयुक्त रूप से बनाया गया है।	जून 2016 में प्लॉट पर कच्चा इका पर संयुक्त रूप से बनाया गया है।	निल	-

दिनांक 23-01-2021

* जहां लानून हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर... देवेन्द्र सिंह
 नाम... देवेन्द्र सिंह
 पद... वाइस चान्सेलर (आ.श.)

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश्वर राय
 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट 3. वर्तमान वेतन 11000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राजेश्वर राय

नाम राजेश्वर राय

पद असिस्टेंट

18-1-21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मास्टर रिट पटना
2. वर्तमान धारित पद मास्टर चालक 3. वर्तमान वेतन ३५७०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① <u>स्वामी रेखा</u> <u>डि. रामलाल</u>	—	2.30 Akal	1.84 Lak	—	पूरीतनी	30000/-	
② <u>स्वामी रेखा</u> <u>डि. रामलाल</u> <u>त. गोहरगंज</u>	—	3.20 Akal	1.12 Lak	—	पूरीतनी	50000/-	
③ <u>बाग सेवा निधि</u> <u>जी. मोहन</u> <u>त. दुधुवा</u>	भवन 45x45	—	35 Lak	—	पूरीतनी	50000/-	
④ <u>विजय रेखा</u> <u>डि. रामलाल</u>	1100 Sq. ft	—	800000/-	—	स्वयं खरीद हैं लोन लेने	00	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर B. K. Sharma

नाम मास्टर रिट पटना

पद मास्टर चालक

10-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमर सिंह

2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 3. वर्तमान वेतन 24700

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल ग्राम-इमलीया तह-दुबूर	1000 वर्ग फीट	1000 वर्ग फीट	6000000	स्वयं के नाम पर	पिता के द्वारा विरासत से		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर अमर सिंह (8-1)

नाम अमर सिंह

पद वाहन चालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....रमेश मोर
 2. वर्तमान धारित पद.....वीरग चालक..... 3. वर्तमान वेतन.....38120..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....जून 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	निरंक	निरंक	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....रमेश मोर

पद.....वीरग चालक

08/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद.....
 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मि. पा. ल.	गृह	-	20,00,000/-	स्वयं	2014 में खरीद तारीख 15/05/2014 20' 20' 20' 20' 20' 20' 190,000/- 3-4-20 विशाला गा. म.	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

7.1.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महावीर कुशवाहा, वाहन चालक
 2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 3. वर्तमान वेतन 24,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रियंका नगर इन्दौर, केदार रोड भोपाल (म.प्र.)	गृह	—	12 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं के द्वारा	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर महावीर कुशवाहा 06/

नाम महावीर कुशवाहा

पद वाहन चालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... दुर्गा चरण पंवार
2. वर्तमान धारित पद..... वाहन चालक..... 3. वर्तमान वेतन..... 24000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
दुर्गा चरण पंवार नेहरू नगर मोपाल	250 वर्ग फुट नेहरू नगर मधुग	मधुग	₹ 8,00,000/-	श्रीमती इमली पंवार (पति)	रजिस्ट्री हुक्मी बली से नगर देश से अप विमल गार्ड 250 वर्ग फुट (डाकूट के साथ)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....
नाम..... दुर्गा चरण पंवार
पद..... वाहन चालक
4/1/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजकुमार कश्यप
 2. वर्तमान धारित पद पटवारी 3. वर्तमान वेतन 240250/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
काठमांडू इन्टर कोलाह अंग्रेज कुम्भी के कोपार	कुम्भी	कुम्भी	1,00,000/-	वैध नाम पर कुम्भी	शासन पट्टा होना	-	-

* जहां लागू न हो काट दी जाए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राजकुमार कश्यप 13/01/2021

नाम राजकुमार कश्यप

पद पटवारी

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महेश सिंह पट्टार
 2. वर्तमान धारित पद जालक 3. वर्तमान वेतन 24700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला शापले तह - गोहजंज ग्राम - विश्वशेखा		प्लॉट कृषि भूमि		स्वयं	विरासत (पुत्रिक)	50,000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर महेश सिंह पट्टार

नाम महेश सिंह पट्टार

पद जालक

11-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कैलाश खोन्
2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक 3. वर्तमान वेतन 24,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिद्धेश्वर/5 राजपुर तह. इ. 62 शे. 1/2		1000 Sq. Ft. 15/2	200000/-		2013 — 11 —	— 11 —	
पंचशैल नगर शे. 1/2	450 Sq. Ft.		20,00,000		विरासत के	2 वरतन विरासत	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Kailash 8-1-21

नाम कैलाश खोन्

पद वाहन चालक

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....आरुता प्रसाद पाण्डे
 2. वर्तमान धारित पद.....मृत्यु 3. वर्तमान वेतन.....अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....आरुता प्रसाद पाण्डे

नाम.....आरुता प्रसाद पाण्डे

पद.....मृत्यु

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... पुनर्वास सोधिया
 2. वर्तमान धारित पद..... हृत्य 3. वर्तमान वेतन..... 2020 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2021 जुलाई

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निष्ठ	निष्ठ	निष्ठ	निष्ठ	nil	nil	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... P. S. S. S. S.

नाम..... पुनर्वास सोधिया
 पद..... हृत्य

4/1/21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....इयामकली डुबे
 2. वर्तमान धारित पद.....हल्कर 3. वर्तमान वेतन.....22800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....अगस्त 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....इयामकली डुबे
 नाम.....इयामकली डुबे
 पद.....हल्कर 12/01

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मोहनलाल धिमरे, सैनिकालय नगरीय तथा स्व. विकास, भोपाळ
 2. वर्तमान धारित पद भूत 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	—	—	—	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर मोहनलाल धिमरे

नाम मोहनलाल धिमरे

पद भूत

दिनांक : 02-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद..... 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महिनारा 982 इलाका नंवा मोचल (मि)	इलाका	—	1.00 ला/व	① बालकृष्ण पांडे बध ② मोहन लाल पांडे	बैंक द्वारा निर्धित	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

सत्य 2-

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश कुमार (हल्ह)
 2. वर्तमान धारित पद हल्ह 3. वर्तमान वेतन 25,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जीलवाडा पोस्ट 110 विकास खण्ड- फरदातहमील- हुजूर जिला भोपाल	-X-	58.17 वर्ग मीटर खसरा क्र 234/1/2 12/1 फरदातहमील 40	बाजार मूल्य 2-61-7654	स्वयं के नाम	SBI इंसा परस्कार लोन लेकर खाता क्र 37563969844 से EMI- 4667/- 20 मासिक दिनांक 20/03/2018 को श्री लीलाकिशोर से क्रेडिट किया गया।	-X-	-X-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राजेश कुमार

नाम राजेश कुमार

पद हल्ह

04/01/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... दिनेश कुमार 256 पता: H-51, नगर निगम 31001 खोला रोड
2. वर्तमान धारित पद..... ग्रह 3. वर्तमान वेतन..... 19311/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....
नाम..... दिनेश कुमार 256
पद..... ग्रह
4-7-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....सहायक सचिव, राज्य पशुधन सेवा विभाग
2. वर्तमान धारित पद.....(भूत) 3. वर्तमान वेतन.....30600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>nil</u>			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....सचिव
नाम.....सचिव
पद.....(भूत)

25/1/21

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... डोर बहादुर सुनार
 2. वर्तमान धारित पद..... हल्क 3. वर्तमान वेतन..... 28800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजीव तहसील इक्षर ब्लाक	कार	ब्लाक	3,00,000/- वाग	स्वयं के नाम से ब्लाक	पिता से प्रकृत जोन बहादुर ब्लाक कम किमा 2011		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... डोर बहादुर सुनार

नाम..... डोर बहादुर सुनार

पद..... हल्क 8-1-20

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... संतोष कुमार ठाकुर
 2. वर्तमान धारित पद..... मुख्य 3. वर्तमान वेतन 30500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-24

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
व.डी.ए. आलोनी अमरसिंहपुर इन्दौर बेलगछिया मोफाल	मकान	मकान	3,00,000/- लक्ष	स्वयं के नाम से	सुगरी का पट्टा वाला मकान	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... संतोष कुमार ठाकुर
 नाम..... संतोष कुमार ठाकुर
 पद..... मुख्य 2/1/

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....शाहरुख निशा
2. वर्तमान धारित पद.....भूय 3. वर्तमान वेतन.....31,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	लगातार	—	4,00,000/-	स्वयं के नाम	स्वयं की वचत एवं G.P.F से	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

शाहरुख निशा 05/11/20

शाहरुख निशा

भूय

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रामसुखन
2. वर्तमान धारित पद हल्द 3. वर्तमान वेतन 18500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जयपुर जिला राजस्थान हल्द	हल्द	हल्द	1,50,000/- बालू	पत्नी के नाम पर	बैंक से परिसर कोन के लिये अपना किया गया		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर रामसुखन

नाम 6120021

पद हल्द

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020 -

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रामेश्वर 54101
 2. वर्तमान धारित पद हल्द 3. वर्तमान वेतन 31500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर रामेश्वर
 नाम रामेश्वर 54101
 पद हल्द

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बहादुर सिंह राजपूत
 2. वर्तमान धारित पद अध्यक्ष 3. वर्तमान वेतन 29700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 21/11/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नर	नर	नर	नर	नर	नर	नर	नर

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर बहादुर सिंह 21/11/2021
 नाम बहादुर सिंह
 पद अध्यक्ष

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... पुष्पेंद्र कुमार यादव (चतुर्थ श्रेणी)
 2. वर्तमान धारित पद..... महल 3. वर्तमान वेतन..... 18500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख..... जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... B. Y. Sharma

नाम..... पुष्पेंद्र कुमार यादव

पद..... महल

दि. 4-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम बहादुर
 2. वर्तमान धारित पद हल्द 3. वर्तमान वेतन 34,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राम बहादुर

नाम राम बहादुर

पद हल्द

दिनांक 27-01-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रवेमसिंह कुशवाह, पटुषी श्रेणी
 2. वर्तमान धारित पद पटुषी श्रेणी 3. वर्तमान वेतन 35200 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बंजाही सी सेक्टर म.न. 18 डोलार रोड श्रीपाल	घर 20x30	—	40.00ला. लगभग	स्वयं के नाम पर	सोसायटी से	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर रवेमसिंह

नाम रवेमसिंह कुशवाह

पद मृत्यु

दिनांक 23/01/2021

फार्म

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... मोहम्मद मलीक
2. वर्तमान धारित पद..... मैलर..... 3. वर्तमान वेतन..... 28800/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उरी तहसील हजर मोपल	मकाने	मकान	15,00,000/- लाख	स्वयं के नाम पर मकान है।	विरासत से पाए हुए हैं	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर..... मोहम्मद मलीक

नाम..... मोहम्मद मलीक

पद..... मैलर

5-1-2024

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के.वा.श.नारायण
 2. वर्तमान धारित पद हल्फ 3. वर्तमान वेतन 28800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोल्हार नरसैल इजुर	मकान	मकान	25,00,000/-	स्वयं के नाम पर मकान है।	बैंक से लोन केकल मकान 25 मिनट 21/2/17	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर के.वा.श.नारायण

नाम के.वा.श.नारायण

पद हल्फ

5-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शुक्ल कृष्ण शर्मा, (वर्तमान पद) लेखी
 2. वर्तमान धारित पद मूल्या 3. वर्तमान वेतन 38,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शुक्ल कृष्ण शर्मा म.प्र. 430 हजारी शुक्ल कृष्ण शर्मा म.प्र. 430	गृह	—	15,000,000/-	—	शुक्ल कृष्ण शर्मा	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर शुक्ल कृष्ण शर्मा
 नाम शुक्ल कृष्ण शर्मा
 पद मूल्या

फार्म

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020।

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... बासु बाबू भूषण
 2. वर्तमान धारित पद... भूषण 3. वर्तमान वेतन... 19153/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख... 1/7/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्देश							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Basu

नाम Basu Babbar

पद... भूषण दि. 15/1/20

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवकरी पटेल, नगरीय प्रशासन एवं विकास, देवागढ़
2. वर्तमान धारित पद होम कंप्यूटेस्ट 3. वर्तमान वेतन 19,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नीलकं औपल	-	प्लॉट	5,00,000/-	स्वयं	आपनी स्वयं की धन से लिया गया। (करीब 10 वर्ष पहले)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर देवकरी पटेल

नाम देवकरी पटेल

पद होम

51212021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. सुरेश कुमार न.प. सहायकी सेवा
2. वर्तमान धारित पद. टीसीओ 3. वर्तमान वेतन. 19347 अगली वेतनवृद्धि की तारीख. 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पढ़ते भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ३३२०८६२
नाम १५३८६२ ११/१
पद १५३८६२

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....
 2. वर्तमान धारित पद.....
 3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

18-1-2

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बडी प्रसाद देवी
 2. वर्तमान धारित पद सी.बी.डी.आर 3. वर्तमान वेतन 19500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर बडी प्रसाद देवी
 नाम बडी प्रसाद देवी
 पद सी.बी.डी.आर

* प्रभम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

- [illegible]

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

ദിനം 4.1.2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. उमेश कुमार सेन
2. वर्तमान धारित पद. चीफ़ ड्राइवर 3. वर्तमान वेतन. 18,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 7/1/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शुगरी नं. 334 शकुल नगर पम्पापुर शास्त्रा मंदिर ओपल	शुगरी	—	20,000/- गीस एप्पा लगभग	स्वयं	शास्त्रा से प्राप्त हुआ पट्टा शुगरी स्वयं जनरि गरि है।		स्वयं के रहने केतु

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम उमेश कुमार सेन

पद चीफ़ ड्राइवर

7/1/2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2018 में 10 दिनों में 2018 में 10 दिनों में
2. वर्तमान धारित पद 2018 में 10 दिनों में 3. वर्तमान वेतन 19311/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

****** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:— मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर मी. विदीप H/
नाम मी. लखू विदीप
पद टाकीबाद

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुनर्गठित, माला, नगरीय प्रशासन एवं विकास
 2. वर्तमान धारित पद माला 3. वर्तमान वेतन 35200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C-47 आर विहार फ्लैट-3 कोलार रोड कोयला	माला		25 लाख	स्वयं	बैंक द्वारा कर्ज लेकर	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर पुनर्गठित

नाम पुनर्गठित

पद माला

29-1-2021

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. शासकीय सेवक का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राकेश कुमार
2. वर्तमान धारित पद हाउसिंग ऑफिसर 3. वर्तमान वेतन 35200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 10/07/2021

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय सेवक से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	—	सुपरी का पट्टा सं० प्र० शासन द्वारा प्राप्त	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या नाम पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर राकेश कुमार

नाम राकेश कुमार

पद हाउसिंग ऑफिसर

14.02.20